

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

मूल्य, ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि

मूल्य:

- गुणवत्ता प्रत्येक स्तर पर
- पारदर्शिता
- ईमानदारी
- प्रतिबद्धता
- समय पाबंद
- जुनून
- प्रगतिशील
- टीम भावना

ध्येय:

हरित प्रदेश एमपीसी अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता युक्त दूध का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य एवं तकनीकी सेवाएँ प्रदान करते हुए, कम लागत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प है। साथ ही एमपीसी उच्च गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (2030):

हरित प्रदेश एमपीसी, दुग्ध उत्पादक सदस्यों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी तथा भारत के डेयरी क्षेत्र में शीर्ष 10 संस्थानों में सबसे अग्रणी होगी।

अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
निदेशकों का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन	2-21
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	22-34
बैलेंस शीट 2024-25	35-57
पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना	58-80
सदस्यता जारी रखने की शर्तें	81

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष संख्या : 0121- 2995900
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी के संचालन पर अपनी चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

(रूपये लाख में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
संचालन से राजस्व	45,393.45	45,288.45
अन्य कमाई	422.53	227.76
व्यय सहित कुल लागत	44,842.19	44,403.43
कर से पूर्व लाभ/हानि	973.79	1,112.78
कर व्यय:		
(1) वर्तमान कर	268	331.00
(2) आस्थगित कर	(17.09)	(45.30)
शुद्ध कर व्यय	250.91	285.70
कर के बाद लाभ/(हानि)।	722.88	827.08

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹45,393.45 लाख का टर्नओवर हासिल किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹45,288.45 लाख की तुलना में अधिक है।

इस अवधि में कंपनी ने कुल ₹45,815.98 लाख की आय अर्जित की, जिसमें ₹45,393.45 लाख का परिचालन राजस्व और ₹422.53 लाख की अन्य आय शामिल है। इस अवधि में कुल व्यय ₹44,842.19 लाख रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने ₹722.88 लाख का लाभ अर्जित किया है।

सीमित रिटर्न (लाभांश)

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को यह अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ, के लिए ₹100 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक 11,78,237 इक्विटी शेयर पर ₹8 प्रति इक्विटी शेयर लाभांश घोषित किया जाए। इक्विटी शेयरों पर यह लाभांश कंपनी की 5वीं वार्षिक साधारण सभा("AGM") में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगा। आगामी AGM में सदस्यों द्वारा स्वीकृति के बाद यह लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। यदि स्वीकृत किया जाता है, तो इस लाभांश के भुगतान से ₹94,25,896 का नकद खर्च होगा।

सामान्य भंडार में अंतरण

कंपनी के अधिनियम उपबंधों तथा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ₹6,28,62,073 की राशि को सामान्य भंडार में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखता है।

संचालन अवलोकन

भौगोलिक विस्तार और बुनियादी ढांचा विकास।

संचालन विस्तार और बुनियादी ढांचा विकास

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात मुख्य जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, हापुड़ और बुलंदशहर में निरंतर संचालन किया है। ग्रामीण समावेशन और डेयरी सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के हमारे संकल्प ने इस वर्ष भी ठोस परिणाम दिए हैं।

- **मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPPs):** अब तक कुल **1,682 क्रियाशील MPPs** स्थापित किए जा चुके हैं, जो अधिक गाँवों को कवर करते हैं और संगठित दूध संग्रहण की पहुँच को व्यापक बनाते हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण उत्पादकों की सहभागिता और हमारे पारदर्शी तंत्र की पुष्टि करती है।
- **चिलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:** नज़ीबाबाद में एक नया चिलिंग सेंटर शुरू किया गया, जिससे शीत श्रृंखला को मजबूती मिली है। इससे दूध की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है और दूरस्थ क्षेत्रों में ताज़ा और सुरक्षित दूध की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

भविष्य में हम अन्य उच्च संभावनाशील क्षेत्रों में भी चिलिंग एवं संग्रहण सुविधाओं के विस्तार की योजना पर कार्य कर रहे हैं।

सदस्यता वृद्धि और सहभागिता

सदस्यता में वृद्धि हमारी प्रगति की मुख्य धारा रही है। इस वर्ष भी हमने ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़ाव को और मजबूत किया:

- **पंजीकृत सदस्य:** 31 मार्च 2025 तक यह संख्या **63,208** हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में **20% वृद्धि** को दर्शाती है।
- **सक्रिय सदस्य:** कुल **57,303 सक्रिय सदस्य**, जो **16% की वृद्धि** है। सक्रिय सदस्य हमारी प्रणाली का परिचालन आधार हैं और इनकी भागीदारी गुणवत्ता व उत्पादकता का संकेत है।

स्थानीय शिविरों, डिजिटल पंजीकरण मुहिमों और फील्ड टीमों के माध्यम से हमने अधिक से अधिक ग्रामीण उत्पादकों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित की।

दूध संग्रहण और वित्तीय लाभ

संग्रहण एवं भुगतान की प्रक्रिया इस वर्ष भी प्रभावी और पारदर्शी रही:

- **कुल दूध संग्रहण:** **85,575,052.23 किलोग्राम**, जो पिछले वर्ष की तुलना में **5% अधिक** है।

- **बोनस वितरण:** कुल ₹4,53,69,100 रुपये की राशि 20,402 लगातार आपूर्ति करने वाले सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।
- **स्वच्छ दूध पहल:** 21,279 सदस्यों को 10 लीटर की स्टेनलेस स्टील बाल्टी प्रदान की गई, ताकि संग्रहण के समय दूध की स्वच्छता बनी रहे।

इसके साथ ही, गांवों में स्वच्छ दूध हैंडलिंग पर प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए।

डिजिटल नवाचार और सदस्य सशक्तिकरण

डिजिटल तकनीकों के उपयोग से हमने सेवा वितरण में पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा दिया:

- **हरित स्वागत ऐप:** नए सदस्यों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को तेज और सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया।
- **हरित मित्र ऐप:** सदस्य अपने दूध संग्रहण व भुगतान की जानकारी स्वयं देख सकते हैं। इस वर्ष हमने ऐप में अतिरिक्त भाषाओं और डैशबोर्ड सुविधाएँ जोड़ी हैं।

ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा सुलभता की दिशा में बड़ा बदलाव ला रहे हैं।

सदस्य सेवाओं में विस्तार

हमारे सेवाओं का उद्देश्य सदस्यों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना रहा है:

- **पशु आहार वितरण:** 8,421 मीट्रिक टन पौष्टिक पशु आहार वितरित किया गया, जो 53% की वृद्धि है।
- **मिनरल मिक्सचर वितरण:** 42,290 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर वितरित किया गया, जो 128% वृद्धि को दर्शाता है।
- **बायोगैस विस्तार:** 93 नए घरेलू बायोगैस यूनिट्स 70 नए MPPs में लगाए गए। अब कुल 498 MPPs में बायोगैस सुविधा सक्रिय है।
- **जैविक खाद उत्पादन:** 61.32 मीट्रिक टन जैविक खाद "हरित सुधन" ब्रांड के तहत उत्पादित की गई, जो हमारे सदस्यों को पर्यावरणीय लाभ के साथ उच्च गुणवत्ता वाली उर्वरक प्रदान करती है।

भविष्य में हम मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक और चारा बैंक की सेवाएं शुरू करने की दिशा में अग्रसर हैं।

पशुधन विकास एवं प्रजनन कार्यक्रम

पशुधन की गुणवत्ता सुधार हेतु हमने सटीक योजनाओं पर कार्य किया:

- **कृत्रिम गर्भाधान (AI):** इस वर्ष कुल 23,588 AIs सेक्स-सॉर्टेड सीमेन द्वारा किए गए, जिससे उच्च दूध उत्पादक मादा पशु का जन्म संभव होगा।

- **शायक ओरिएंटेशन कार्यक्रम:** सभी चिलिंग सेंटर्स पर प्रशिक्षक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शायकों को सम्मानित भी किया गया।**

हम जल्द ही मोबाइल AI वैन और टेली-वेटरनरी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

सतत विकास और पर्यावरणीय प्रभाव

हम पर्यावरणीय संरक्षण और सतत कृषि को प्राथमिकता देते हैं:

- **बायोगैस यूनिट्स:** अब **498 MPPs** में सक्रिय हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ जैविक अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- **जैविक खेती:** "हरित सुधन" के उपयोग से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो रही है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

ये पहलें पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।

आगे की दिशा

वित्तीय वर्ष 2025–26 में हम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

- डिजिटल सेवाओं में विस्तार और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप की उपलब्धता;
- पशु चिकित्सा सेवाओं, प्रजनन केंद्रों और चारा आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना;
- स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, जलवायु अनुकूल डेयरी और जैविक प्रमाणन पर जागरूकता कार्यक्रम;
- जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली, नवाचार-समर्थ और टिकाऊ ग्रामीण डेयरी मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (IT)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (IT) हमारे संगठन में पारदर्शी लेन-देन बनाए रखने और मूल्य श्रृंखला के जटिल ढांचे में महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी तक पहुँच को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईटी विभाग द्वारा लागू आईटी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि हमारे सम्मानित उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए दूध की मात्रा, वसा सामग्री और एसएनएफ (सॉलिड्स-नॉट-फैट) विश्लेषण से संबंधित आवश्यक डेटा का सहज ऑनलाइन प्रसारण हो। यह बहुमूल्य डेटा हमारे अत्याधुनिक ERP सिस्टम के माध्यम से सदस्यों के भुगतान की स्वचालित गणना का आधार है, जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के उनके बैंक खातों में त्वरित हस्तांतरण को सक्षम करता है। इसके अतिरिक्त, आपकी सतर्क आईटी प्रणाली सभी मिल्क पूलिंग पॉइंट्स पर सदस्य डेटा और दूध दर चार्ट को सावधानीपूर्वक अद्यतन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पंजीकरण के क्षण से ही दूध संग्रह केवल हमारे मूल्यवान सदस्यों तक सीमित रहे।

ERP सिस्टम

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में दूध मूल्य दावा हेतु 'सार्थक' एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। यह क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म संचालन और सूचना को एकीकृत करते हुए हमारे सम्मानित उत्पादकों के विविध लेन-देन की वास्तविक समय में निगरानी करता है। दूध डालने की निगरानी से लेकर चारा, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम सप्लीमेंट और चारा बीज जैसे आवश्यक इनपुट से संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता तक, ERP प्रणाली संगठन को बेजोड़ दक्षता प्रदान करने वाला डिजिटल तंत्रिका केंद्र है।

सदस्य उत्पादकों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन (हरित मित्र ऐप)

हमारी आईटी टीम ने विशेष रूप से सदस्यों के लिए अभिनव "हरित मित्र ऐप" लागू किया है। यह मोबाइल एप्लिकेशन सदस्यों को उनके दैनिक दूध डालने का विवरण, ऐतिहासिक डेटा, भुगतान संबंधी विवरण और संपूर्ण सदस्य पासबुक देखने में सक्षम बनाता है। समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु, यह एप्लिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का समर्थन करता है। ईमानदारी, पारदर्शिता, समयबद्धता और नवाचार जैसे हमारे मूल्यों के अनुरूप डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।

सदस्य पंजीकरण हेतु मोबाइल एप्लिकेशन (हरित स्वागतम ऐप)

सदस्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से "हरित स्वागतम" मोबाइल ऑनबोर्डिंग एप्लिकेशन लागू और लॉन्च किया गया है। इस टूल के माध्यम से फील्ड टीमों किसी भी समय, किसी भी स्थान पर संभावित उत्पादकों के घर जाकर आवश्यक विवरण व दस्तावेज डिजिटल रूप से दर्ज कर सकती हैं। यह प्रक्रिया डेटा एंट्री को सुगम बनाने के साथ ही दस्तावेज सत्यापन व स्वीकृति को भी तेज करती है, जिससे सदस्यता कोड कुछ ही घंटों में जारी हो जाता है। यह पहल डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण पारिस्थिति तंत्र की हमारी दृष्टि को मजबूत करती है।

डिजिटल दूध संग्रह

कंपनी ने दूध संग्रह प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे MPP, BMC और MCC से प्राप्त खरीद डेटा सीधे 'सार्थक' सिस्टम में एकीकृत हो जाता है। GPRS सिस्टम से रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर, दर चार्ट और सदस्य कोड अपडेट की सुविधा मिलती है, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

फील्ड इंजीनियरिंग सेवाएं (FES)

हमारी कुशल तकनीशियनों की टीम DPMCU सिस्टम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करती है। वे तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर भरोसा और विश्वास बनाए रखते हैं।

सुरक्षा, दक्षता एवं पारदर्शिता को सशक्त बनाना

आईटी विभाग ने केंद्रीयकृत सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर, UAT एनवायरनमेंट, एंटरप्राइज एंटीवायरस, FTP बैकअप सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी और इंटीग्रेशन जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। इससे सुरक्षा, डेटा संरक्षण, एकरूपता और संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है।

एंटरप्राइज- एंटीवायरस

नेटवर्क के सभी उपकरणों की निगरानी, पैच मैनेजमेंट, हार्डवेयर ट्रैकिंग और वेब कंट्रोल के साथ उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है।

एक्टिव डायरेक्टरी एकीकरण

यह प्रणाली उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण, पासवर्ड नीतियां और केंद्रीकृत नीति प्रवर्तन सुनिश्चित करती है।

इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास उपलब्धियां

- **इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम (IMS):** शिकायतों का त्वरित पंजीकरण, ट्रैकिंग और समाधान।
- **डेली डेटा सिंक मॉनिटरिंग सिस्टम:** फील्ड डेटा का वास्तविक समय में सिंक्रोनाइज़ेशन।
- **मैनुअल ट्रांजेक्शन एनालिसिस सिस्टम:** मैनुअल प्रविष्टियों की निगरानी और विश्लेषण।
- **मेंबर टारगेट एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम:** प्रदर्शन विश्लेषण और रिपोर्टिंग।

सीसीटीवी स्थापना

MCC, क्लस्टर कार्यालय और हेड ऑफिस में सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुशासन हेतु सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

निष्कर्ष: नवाचार के माध्यम से प्रगति

आईटी पहलों ने संगठन की सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत किया है। केंद्रीकृत सिस्टम, साइबर सुरक्षा समाधान और कस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालन सुगम हुआ है। आगे भी हम उद्देश्यपूर्ण नवाचार, स्केलेबल समाधान और भरोसा जगाने वाली प्रणालियों पर कार्य जारी रखेंगे।

मानव संसाधन:

इस वर्ष, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की मानव संसाधन टीम ने कर्मचारियों को बदलते उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रशिक्षण पहलों को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करके, हम एक ऐसी कार्यबल तैयार कर रहे हैं जो सक्षम होने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी तैयार है।

हमारे कार्यक्रम नेतृत्व और तकनीकी उत्कृष्टता पर जोर देते हैं। नेतृत्व कार्यशालाएं प्रबंधकों और टीम लीडर्स को संचार, निर्णय-निर्धारण और रणनीतिक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करती हैं—जिससे वे टीमों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सकें और दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकें। इसके साथ ही, लक्षित तकनीकी प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अद्यतन रहें, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले और गुणवत्ता एवं दक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहे।

इन प्रयासों को पूरा करने के लिए, ऑन-द-जॉब मेंटॉरिंग और व्यावहारिक सीखने के सत्र शुरू किए गए हैं। यह तरीका कर्मचारियों को कक्षा में सीखी गई बातों को वास्तविक परिणामों में बदलने में मदद करता है, जिससे तुरंत व्यावसायिक प्रभाव सुनिश्चित होता है। अब कर्मचारी पहल करने, समस्याओं को हल करने और अपने-अपने कार्यों में नवाचारपूर्ण विचार प्रस्तुत करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

हम मानते हैं कि अपने लोगों में निवेश करना ही हमारी सफलता में निवेश करना है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक करियर विकास पथ के रूप में भी कार्य करता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारियां लेने और नई भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कर्मचारियों की वर्दी जैसी पहल एकता और अपनत्व की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे

सभी संयंत्रों और कार्यालयों में सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित होती है। ऐसे छोटे किंतु सार्थक कदम मनोबल को बढ़ाते हैं और टीम की पहचान को मजबूत करते हैं।

एचआर विभाग ने कर्मचारी कल्याण और सहभागिता को भी प्राथमिकता दी है। जागरूकता सत्र, समय-समय पर बातचीत, और खुले संवाद चैनलों ने एक सहायक वातावरण बनाने में मदद की है जहां कर्मचारी खुद को मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करते हैं। इस तरह की सहभागिता पर ध्यान न केवल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि एक लचीली कार्यबल का निर्माण भी करता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को अपनाने के लिए तैयार हो।

आगे देखते हुए, हम निरंतर सीखने, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य एक प्रेरित, कुशल और एकजुट कार्यबल तैयार करना है जो उद्योग में होने वाले परिवर्तनों का आत्मविश्वास से सामना कर सके। क्षमता निर्माण और कार्यस्थल में सामंजस्य पर लगातार निवेश करके, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव रख रही है और डेयरी उद्योग में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर रही है।

रोजगार सृजन:

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, चाहे वह सहायक हो, या रूट वाहन ट्रांसपोर्टर, टैंकर ट्रांसपोर्टर, संविदा श्रमिक के साथ-साथ कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार भी हो।

सुरक्षा और स्वास्थ्य:

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के जो शारीरिक रूप से दूध का प्रबंधन करते हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

वित्तीय विवरण या रिपोर्ट का संशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) के तहत स्वैच्छिक या न्यायिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण या रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

पूंजी संरचना एवं शेयरों का निर्गम एवं सदस्यता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 100 (एक सौ रुपये मात्र) वाले 20,00,000 (बीस लाख मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित होकर ₹ 20 करोड़ हो गई है, जो पहले ₹ 100 (एक सौ रुपये मात्र) वाले 10,00,000 (दस लाख मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 20 करोड़ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 100 प्रति शेयर मूल्य के 2,42,243 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी ₹ 11,78,23,700 थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर या वरीयता शेयर या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार या विकल्प हो

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के कुल सदस्य 62,802 थे। 31 मार्च, 2025 के बाद, कंपनी ने 5,409 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 3,471 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई है। इसलिए, इस रिपोर्ट की तिथि तक सदस्यों की कुल संख्या 64,740 है।

मतदान अधिकार और वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति

कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में मतदान के अधिकार के प्रयोग के संबंध में 15,315 सदस्यों (वर्ग-ए, वर्ग-बी और वर्ग-सी) को 5 वीं वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों (अपने-अपने वर्ग के निदेशकों के चुनाव सहित) पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

5वीं वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों (निदेशकों के वर्ग-आधारित चुनाव को छोड़कर) पर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने मतदान के लिए बुनियादी शर्त (अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक और कम से कम 500 लीटर दूध डालना) पूरी कर ली है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने संबंधित वर्ग के एक या अधिक संरक्षण मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

इसके अलावा, 21,237 सदस्यों में से, जो वोट देने के हकदार थे, इस रिपोर्ट की तिथि तक 110 सदस्यों ने अपनी सदस्यता त्याग दी है, प्रभावी रूप से केवल 21,127 सदस्य ही कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 41,565 सदस्य जिन्होंने कम से कम 200 दिनों तक और वर्ष में कुल 500 लीटर दूध नहीं डाला उन्होंने अपना मतदान अधिकार खो दिया है तथा आगामी वार्षिक साधारण सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार नहीं हैं।

जिन सदस्यों ने 31 मार्च के बाद अपनी सदस्यता छोड़ दी है, वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा इसकी स्वीकृति मिल जाए। हालाँकि, वे वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति और मतदान सहित सदस्यता से जुड़े किसी भी अन्य अधिकार या लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं रह गए हैं। इसी प्रकार, जिन सदस्यों को 31 मार्च, 2025 के बाद कंपनी का सदस्य बनाया गया था, वे वित्तीय वर्ष 2024-25 की आगामी वार्षिक साधारण सभा में लाभांश और मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे।

प्रत्येक सदस्य जो इसमें भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, उसके पास केवल एक ही वोट होगा।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अदत लाभांश खाते में स्थानांतरित लाभांश ऐसे स्थानांतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत या दावा रहित रहता है, तो ऐसे दावा रहित या भुगतान न किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो

उप-धारा 125 के तहत स्थापित एक निधि है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की अपेक्षा के अनुसार निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश की कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

वापसी के लिए देय अदत्त/अदावाकृत लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट www.haritpmilk.com/unclaimed-dividend/ पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सूची की जाँच करें और यदि उक्त सूची में उनकी देय कोई भी राशि अदत्त रह गई हो, तो वे ऐसी राशि का दावा करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है और यह <https://www.haritpmilk.com/nodal-officer-appointed-by-the-company-under-the-provisions-of-ief/> पर उपलब्ध है।

नाम	पद का नाम	पता एवं संपर्क नं.	ईमेल आईडी
श्रीमन नारायण पाण्डेय	कंपनी सचिव और प्रबंधक – कानूनी	दूसरी मंजिल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, रूड़की रोड, पल्लवपुरम-1, मेरठ- 250 110, उत्तर प्रदेश, भारत फ़ोन: 0121 2995900 मोबाइल: 7417754404	shriman.pandey @ haritpmilk.com

बोर्ड की बैठकें

कंपनी के व्यावसायिक लेन-देन के लिए बोर्ड की समय-समय पर बैठकें होती हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दस बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

बोर्ड बैठक सं.	बोर्ड बैठक की तिथि	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
22 ^{वां}	25/05/2024	10	10
23 ^{वां}	05/07/2024	11	11
24 ^{वां}	05/07/2024	11	11
25 ^{वां}	16/08/2024	11	11
26 ^{वां}	31/08/2024	11	10
27 ^{वां}	28/09/2024	11	10
28 ^{वां}	18/11/2024	11	10
29 ^{वां}	26/12/2024	11	10
30 ^{वां}	14/02/2025	11	11
31 ^{वां}	29/03/2025	11	10

समितिया

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्रम.	नाम	पद का नाम
1.	श्री कपिल भारद्वाज	अध्यक्ष
2.	श्री शैलेन्द्र सिंह	सदस्य
3.	डॉ. हितेश पूनिया	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई:

हितधारक संबंध समिति की बैठक सं.	समिति की बैठक की तिथि	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
तीसरा	29/03/2025	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक पद में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान

- श्री वीरेंद्र (DIN: 09377062) और श्री विवेक कुमार (DIN: 09733815) को 28/09/2024 को आयोजित चौथी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पुनः निर्वाचित किया गया।
- श्री अंकुर कुमार (डीआईएन: 09377126) और श्री पवन कुमार त्यागी (डीआईएन: 09733867) 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के तहत कंपनी के निदेशक नहीं रहें।
- श्री आलोक कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03159741), को 25/05/2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. हितेश पूनिया (DIN: 09443126) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के अंतर्गत 5 जुलाई, 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात् कंपनी के मुख्य कार्यकारी एवं पदेन निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात,

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के बीच हुए प्रतिनियुक्ति समझौते के आधार पर, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378W, अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत 6 जुलाई, 2024 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों का एक-चौथाई निदेशक क्रम से सेवानिवृत्त होगा तथा जो निदेशक अपने पिछले नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय से पद पर रह रहे हैं, वे सेवानिवृत्त होंगे। अनुच्छेद 9.6 (i) के अनुसार, यदि एक ही दिन निदेशक बनने वाले व्यक्तियों में यह तय करना हो कि कौन सेवानिवृत्त होगा, तो आपसी सहमति न होने की स्थिति में यह चयन चिट्ठी द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, श्री कपिल भारद्वाज (DIN: 09377124) और श्री शैलेंद्र सिंह (DIN: 09377123), जो सबसे लंबे समय से पद पर हैं, को निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक साधारण सभा में क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए निर्धारित किया है। श्री कपिल भारद्वाज और श्री शैलेंद्र सिंह, पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

समीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद:

- श्री नरेंद्र सिंह बहगा (DIN: 06990320) को 7 अप्रैल, 2025 से प्रभावी दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।
- श्री आलोक कुमार गुप्ता (DIN: 03159741), विशेषज्ञ निदेशक ने 27 जून, 2025 से प्रभावी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
- डॉ. निरवकुमार प्रहलादभाई पटेल (DIN: 11214163) को 25 जुलाई, 2025 से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल की संरचना एवं आगामी वार्षिक आम सभामें निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के उपविधियों के अनुच्छेद 9.4 से 9.6 तक निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड निर्धारित हैं, जबकि अनुच्छेद 9.5 में यह व्यवस्था है कि जहाँ तक संभव हो, मंडल में प्रतिनिधित्व संबंधित श्रेणी के संरक्षकता (पैट्रनेज) के आधार पर होगा। सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर तीन श्रेणियों—क्लास-A, क्लास-B और क्लास-C—में वर्गीकृत करने के मानदंड कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृत किए गए थे।

सदस्य डेटा के विश्लेषण (वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षकता मानदंड की पूर्ति एवं अपूर्णता) के आधार पर यह पाया गया कि 31 मार्च, 2025 तक कुल सदस्यों में से 24% ने अपनी-अपनी श्रेणी के सभी निर्धारित संरक्षकता मानदंड पूरे किए हैं।

कुल 24% सदस्यों में से 7% क्लास-A, 7% क्लास-B और 10% क्लास-C से संबंधित थे। जबकि उक्त क्लास-A, क्लास-B और क्लास-C सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए गए दूध (संरक्षकता) की मात्रा का अनुपात क्रमशः 62%, 20% और 18% था। संरक्षकता के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर यह अनुपात 7 निदेशक (क्लास-A), 2 निदेशक (क्लास-B) और 2 निदेशक (क्लास-C) होता है। अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी।

क्लास-A निदेशक

अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री कपिल भारद्वाज और श्री शैलेंद्र सिंह, जो कंपनी के क्लास-A का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी दूसरी अवधि पूर्ण करने के पश्चात आगामी 5वीं वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्त होंगे। नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल उनके स्थान पर श्री प्रवीण कुमार और श्री मोहित कुमार को नियुक्त करने की अनुशंसा करता है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल कंपनी के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों से अधिक प्रतिनिधित्व चाहता है, इसलिए नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर श्री प्रदीप कुमार, श्री विश्वजीत पंवार और श्री दिगंबर सिंह को क्लास-A का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की जाती है, ताकि अनुच्छेद 9.2 के तहत अनुमत निदेशकों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो सके।

इससे क्लास-A में निदेशकों की कुल संख्या अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के तहत अनुमत 7 निदेशक हो जाएगी।

नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के नाम एवं योग्यता से संबंधित विवरण कंपनी की 5वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ संलग्न है।

क्लास-B निदेशक

अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी के क्लास-B का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी निदेशक की आगामी 5वीं वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्ति नहीं होगी।

क्लास-C निदेशक

अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी के क्लास-C का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी निदेशक की आगामी 5वीं वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्ति नहीं होगी।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण: -

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के उत्पादक निदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किया गया:

क्रम.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की तिथि	क्या सभी नए उत्पादक निदेशकों ने भाग लिया
1.	अभिविन्यास कार्यक्रम	5 से 7 फरवरी, 2025	हाँ

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार में कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि-

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें कोई भौतिक विचलन नहीं है।

- b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे 'चालू व्यवसाय' के आधार पर तैयार किये थे।
- e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियाँ सुरक्षित और संरक्षित रहें और लेन-देन सही ढंग से अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किए जाएँ। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई भी रिपोर्ट योग्य भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और अधिकांश हिस्से का लेखा परीक्षण किया है।

इसके अलावा, बोर्ड ने मेसर्स वीएस गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरठ को कंपनी का समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जिसमें शामिल है:

- प्रत्येक क्रय आदेश को सत्यापित करना ताकि सटीकता, प्रामाणिकता और प्रक्रिया तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, जिसमें जारी किया गया और खोला गया क्रय आदेश;
- ₹ 1,000 से अधिक के सभी लेनदेन का पूर्व-ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कंपनी की आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- वित्तीय लेनदेन के लिए सहायक दस्तावेजों का सत्यापन, प्रामाणिकता और पूर्णता;
- बोर्ड को प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों का सत्यापन करना तथा उसकी सटीकता आदि के संदर्भ में कंपनी के बोर्ड को रिपोर्ट जारी करना।

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27

में होने वाली कंपनी की छठी वार्षिक साधारण सभा के समापन तक पद धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत बोर्ड को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी में की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है, जिसका विवरण इस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षक सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में वर्ष में तीन बार व्यापक लेखा परीक्षा करते हैं और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

होलिडिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियां

कंपनी के पास कोई होलिडिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अर्थ के अंतर्गत न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति दी है या निवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन एक निश्चित सीमा तक और सामान्य व्यावसायिक क्रम में थे। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया है। इसलिए, फॉर्म AOC-2 में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। हालांकि, लेखा मानक-18 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष के लिए संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट के नोट संख्या 34 में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक

उत्तरदायित्व (सीएसआर) का दायित्व लिया है और सीएसआर नीति अपनाई है, जो कंपनी की वेबसाइट <https://www.haripmilk.com/csr> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भुखमरी, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित स्वच्छता गतिविधियों पर ₹ 11,84,662 का सीएसआर व्यय किया। सीएसआर का उपरोक्त व्यय एनडीडीबी न्यूट्रिशन फॉर फाउंडेशन, गुजरात द्वारा सीएसआर परियोजना के लिए हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की कार्यान्वयन एजेंसी, द्वारा शुरू की गई 'उपहार दूध कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार' परियोजना के अंतर्गत किया गया था।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक- I में दी गई है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन, जोखिमों की पहचान, आकलन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है, जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को न्यूनतम करने, निगरानी करने और कम करने/नियंत्रित करने या अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रबंधन एक उचित रूप से परिभाषित ढाँचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यावसायिक, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में उनके शमन की प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और उसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आय - शून्य;

व्यय - शून्य.

कंपनी सामान्य कार्यालय और बिजली के प्रयोजनों को छोड़कर किसी भी अन्य कार्य के लिए बिजली की खपत नहीं करती है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने सतर्कता तंत्र के लिए एक नीति अपनाई है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के तहत अपेक्षित है, ताकि निदेशकों और कर्मचारियों को किसी भी मुद्दे को प्रबंधन के ध्यान में लाने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जा सके, जो कंपनी की संहिता के उल्लंघन या विरोधाभास में माना जाता है।

कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोइंग के माध्यम से अपनी समस्याएँ व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विजिल मैकेनिज्म (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट <https://www.haritpmilk.com/wp-content/uploads/2025/04/Vigil-Mechanism-Policy.pdf> पर उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण

नियामकों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

लागत रिकॉर्ड

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के प्रावधान, इसमें किए गए किसी भी संशोधन सहित, लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां, जब खातों और लेखांकन नीतियों के प्रासंगिक नोट्स के साथ पढ़ी जाती हैं, तो वे स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं और उन पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती।

सचिवीय मानक

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट <https://www.haritpmilk.com/annual-report/> पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही किसी बैंक के साथ कोई एकमुश्त निपटान किया गया।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण, इसके कारणों सहित।

कंपनी पर लागू नहीं।

प्रशंसा और आभार

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकों और सांविधिक एवं आंतरिक दोनों लेखा परीक्षकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करता है। निदेशक मंडल इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी हार्दिक सराहना करता है।

निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह.

कपिल भारद्वाज

निदेशक और अध्यक्ष

डीआईएन:09377124

स्थान: मेरठ

तारीख: 13/08/2025

अनुलग्नक- 1

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 में उल्लिखित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- a) स्वास्थ्य
- b) शिक्षा
- c) स्वच्छता सुविधाएं
- d) पर्यावरणीय स्थिरता
- e) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
- f) व्यावसायिक कौशल में सुधार
- g) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा
- h) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
- i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री केयर्स फंड या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।
- j) इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान
- k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियाँ संचालित करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में संलग्न होना।

2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नहीं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं।				

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं: <https://www.haritpmilk.com/csr/> .

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक के साथ प्रदान करें, यदि लागू हो: **लागू नहीं**

5. a. धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **₹ 5,92,33,121**

b. धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: **₹ 11,84,662**

c. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

d. वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

e. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)]: ₹ 11,84,662

6 (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजनाओं के अलावा दोनों परियोजना): ₹ 11,84,662

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्रम. नहीं	(2) परियोजना का नाम.	(3) सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VI में उल्लिखित गतिविधियाँ	(4) स्थानी य क्षेत्र (हाँ /नहीं)	(5) जगह की परियोजना		(6) परियोज ना अवधि.	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	(9) अव्ययित सीएसआर को हस्तांतरित राशि परियोजना का लेखा 135(6) के अनुसार करें (₹ में)	(10) उदाहरण का तरीका विचार- प्रक्रिया - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	(11) उदाहरणात्मक ध्यान का तरीका -अनुप्रयोग के माध्यम से एनटिंग एजेंसी	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएस आर रजिस्टर व्यावहा रिक संख्या
1	उपहार दूध कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार।	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	उत्तर प्रदेश	मेरठ	3 महीने	₹ 11,84,662	₹ 11,84,662	0	नहीं	एनडी डीबी फाउंडेशन के लिए पोषण	गुजरात /1743/ आनंद

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	के स्थान परियोजना	परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन की रीति कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

		की सूची से मद						नाम	सीएसआर पंजीकरण
				राज्य	ज़िला				
1	गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम	कुपोषण उन्मूलन स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	उत्तर प्रदेश	मेरठ	₹11,84,662/-	नहीं	एनडीडीबी फाउंडेशन फार न्यूट्रिशन	CSR00004168
	कुल					₹ 11,84,662			

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: 0

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: ₹ 11,84,662

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अप्रयुक्त सीएसआर राशि:

	(₹ में)				
वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि.	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (₹ में)		
	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
₹ 11,84,662	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

सं.	विशिष्ट	राशि (₹ में)
	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 11,84,662
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹ 11,84,662
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(वी)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8		
क्र.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	उप-धारा 135 (6) के तहत सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	समीक्षाधिन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गयी राशि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कोई हो	निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	शेष राशि में खर्च किया जाना आगामी वित्तीय वर्ष (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					लागू नहीं				

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई गई हैं या अर्जित की गई हैं वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: लागू नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण, जिसमें पूरा पता और स्थान शामिल हो संपत्ति का	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	दिनांक निर्माण	सीएसआर में खर्च की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(एल)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					लागू नहीं		

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: लागू नहीं

स्थान: मेरठ

दिनांक: 13/08/2025

ह.

हितेश पूनिया

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन:09443126

ह.

कपिल भारद्वाज

अध्यक्ष एवं निदेशक

डीआईएन:09377124

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत जानकारी दी गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ वित्तीय विवरणों के लिए

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना पैदा करती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- a) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

- b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, सिवाय इसके कि भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वर में इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई ऐसी खाता बही का दैनिक आधार पर बैकअप नहीं रखा गया है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 43 देखें) और नीचे (i)(vi) में बताए अनुसार ऑडिट ट्रेल की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है।
- c) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- d) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- e) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- f) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन ऊपर पैराग्राफ (बी) में बताए गए हैं।
- g) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- h) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

- i) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जैसा की हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए अस्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किया गया है:
- कंपनी पर कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़े।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो;
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
 - (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 37 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं)

को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई भी चीज प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 37 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जिन्हें किसी भी तरह से वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाए।

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 39 में बताया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123, जहाँ लागू हो, के अनुसार है।

i. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें:

a. एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष काम करता रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, और;

b. क्रय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा नहीं थी।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक बी" में एक बयान देते हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG की अपेक्षा के अनुसार, हम उस धारा में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक C" में एक विवरण देते हैं।

एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 101496W /W100774)
ह.
जितेंद्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 087104)
(यूडीन:25087104BMJGYC4893)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13/08/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1(जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की ज़िम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर

हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 101496W /W100774)

ह.

जितेंद्र अग्रवाल

साथी

(सदस्यता संख्या 087104)

(यूडीन: 25087104BMJGYC4893)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13/08/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(इसका उल्लेख हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में किया गया है)

हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

- (i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

- (बी) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सत्यापन का एक कार्यक्रम है, ताकि हर दो साल में एक बार सभी मदों को कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। चूंकि वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, इसलिए सत्यापन में पाई गई महत्वपूर्ण विसंगतियों की सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए धारा (i)(ग) के तहत रिपोर्टिंग की जा रही है आदेश लागू नहीं है।
- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
- (ii) (क) पारगमन माल को छोड़कर, शेष सभी इन्वेंटरी का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया। हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा इस प्रकार के सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। पारगमन माल के संबंध में, माल वर्ष के अंत के बाद वितरित किया गया है। लेखा पुस्तकों के साथ तुलना करने पर, इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड (ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, तथा ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है, और इसलिए आदेश के खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं और इसलिए आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (v) कंपनी ने कोई जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत सरकार। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:
- (a) कंपनी पर लागू माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को सामान्यतः वर्ष के दौरान सभी मामलों में उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया गया है।
- 31 मार्च, 2025 तक माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं है, जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हो।
- (b) उप-खण्ड (क) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक बकाया नहीं था, जो 31 मार्च, 2025 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया हो।
- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट की गई पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ।
- (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋणों का उपयोग पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा अप्रयुक्त सीमा तक किया है, जो उन उद्देश्यों के लिए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, आवेदन लंबित अस्थायी तैनाती के अलावा।
- (घ) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई अल्पकालिक निधि नहीं ली है। इसलिए आदेश के खंड (ix)(घ) के

अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

- (ई) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (च) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ix) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूर्णतः, आंशिक रूप से और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xi) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकट किया गया है। कंपनी एक निजी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xiii) (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024 की अवधि को कवर करती है, तथा लेखापरीक्षा अवधि के लिए दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि को कवर करते हुए बैलेंस शीट की तारीख के बाद जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

- (xiv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xv) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xvi) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xvii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xviii) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।
- (xix) कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए आवश्यक राशि पूरी तरह से खर्च कर दी है और इस वर्ष कोई भी सीएसआर राशि ऐसी नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में या उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 101496W /W100774)

ह.

जितेंद्र अग्रवाल

साथी

(सदस्यता संख्या 087104)

(यूडीन: 25087104BMJGYC4893)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13/08/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(इसका उल्लेख हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3 में किया गया है)

- a) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 17 में दर्शाई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण की वसूली संदिग्ध नहीं मानी जाती है।
- b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के अंत तक नकदी नहीं थी और न ही उसके पास कोई निवेश प्रतिभूतियां थीं।
- c) 31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- d) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- f) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।
- g) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर बताई गई बातों के अलावा कोई अन्य बात नहीं है।

एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 101496W /W100774)

ह.

जितेंद्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 087104)

(यूडीन:25087104BMJGYC4893)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13/08/2025

हरित प्रदेश दुध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट

	नोट नं.	31 मार्च, 2025 तक रुपये लाखों में	31 मार्च, 2024 तक रुपये लाखों में
ए. इक्विटी और देयता			
1. शेयरधारकों के फंड			
(ए) शेयर पूंजी	3	1,178.24	935.99
(बी) भंडार और अधिशेष	4	1,939.79	1,291.79
		3,118.03	2,227.78
2. शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	28	22.61	34.46
3. आस्थगित अनुदान	5	825.16	43.56
4. गैर मौजूदा देनदारियां			
(ए) दीर्घकालिक उधार	6	1,102.54	1,005.33
(बी) अन्य दीर्घकालिक देनदां	8	640.28	434.03
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	9	53.24	42.12
		1,796.06	1,481.48
5. वर्तमान देनदारियां			
(ए) अल्पकालिक उधार	10	608.77	1,206.89
(बी) व्यापार देयताएं	11		
(i) लघु उद्यमों का कुल बकाया		15.07	18.34
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		2,423.57	2,414.56
(सी) अन्य वर्तमान देनदारियां	12	713.56	1,507.03
(डी) अल्पकालिक प्रावधान	13	10.60	19.83
		3,771.57	5,166.65
कुल		9,533.43	8,953.93

बी संपत्ति

1. गैर तात्कालिक परिसंपत्ति

(ए)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
	(i) उपकरण	14	2,116.76	996.98
	(ii) अमूर्त संपत्ति	14.2	13.27	15.76
(बी)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	15	121.69	3.93
(सी)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	7	58.27	41.18
			2,309.99	1,057.85

2. वर्तमान संपत्ति

(ए)	भंडारण	16	229.32	250.42
(बी)	व्यापार प्राप्तियाँ	17	1,914.74	1,770.00
(सी)	नकद और नकद के समान	18	4,939.60	5,739.04
(डी)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	19	12.98	46.55
(ई)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	126.80	90.07
			7,223.44	7,896.08
	कुल		9,533.43	8,953.93

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एमबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

निदेशक मंडल की ओर से

ह.	ह.	ह.
ह.	कपिल भारद्वाज	अंजू देवी
	निदेशक	निदेशक
जितेंद्र अग्रवाल	डीआईएन: 09377124	डीआईएन: 09377125
पार्टनर		डीआईएन: 09443126
स्थान: मुंबई	स्थान: मेरठ	स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025	दिनांक: 3/08/2025	दिनांक: 13/08/2025
	ह.	ह.
	श्रीमन नारायण पांडे	प्रकाश चंद्र
	कंपनी सचिव	प्रमुख - लेखा एवं वित्त
	एम. सं. F7763	
	स्थान: मेरठ	स्थान: मेरठ
	दिनांक: 13/08/2025	दिनांक: 13/08/2025

हरित प्रदेश दुध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	नोट नं.	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
		रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
1. परिचालन से राजस्व	21	45,393.45	45,288.45
2. अन्य कमाई	22	422.53	227.76
3. कुल आय (1+2)		45,815.98	45,516.21
4. खर्च			
(ए) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	23	42,665.43	42,190.78
(बी) भंडारण में परिवर्तन	24	29.23	(60.51)
(सी) कर्मचारी लाभ व्यय	25	412.97	376.13
(डी) वित्त लागत	26	116.99	109.22
(ई) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14	296.98	367.23
(एफ) अन्य खर्चों	27	1,320.59	1,420.58
कुल व्यय		44,842.19	44,403.43
5. कर से पहले का लाभ (3-4)		973.79	1,112.78
6. कर व्यय:			
(ए) वर्तमान कर		268.00	331.00
(बी) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		(17.09)	(45.30)
शुद्ध कर व्यय (a+b)		250.91	285.70
7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		722.88	827.08
8. प्रति इक्विटी शेयर आय:	31		
(ए) बुनियादी	रुपए	75.03	127.50
(बी) पतला	रुपए	75.03	127.50

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह.
जितेंद्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13/08/2025

निदेशक मंडल की ओर से

ह.
कपिल भारद्वाज
निदेशक
डीआईएन: 09377124

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.
श्रीमन नारायण पांडे
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F7763

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.
अजू देवी
निदेशक
डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.
डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यकारी और निदेशक
डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.
प्रकाश चंद्र
प्रमुख - लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025 रुपये लाखों में	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 रुपये लाखों में
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
कर से पहले का लाभ	973.79	1,112.78
समायोजन :		
वित्त लागत	116.99	109.22
ब्याज आय	(284.93)	(170.66)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	11.85	28.01
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का त्याग	0.28	1.64
देयताएं खारिज किया गया	88.58	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	296.98	367.23
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	1,203.54	1,448.22
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन:		
भंडारण में (वृद्धि)/कमी	46.42	(55.39)
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(144.74)	(349.82)
ऋण और अग्रियों में (वृद्धि)/कमी	33.58	(36.90)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	3.79
व्यापार देय राशि में वृद्धि/(कमी)	(82.83)	854.74
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(778.88)	1,386.05
अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	206.25	6.83
परिचालन से उत्पन्न नकदी	483.34	3,257.52
भुगतान किया गया शुद्ध आयकर	(395.77)	(469.29)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह - (ए)	87.57	2,788.23
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद (प्राप्त पूंजी अनुदान का शुद्ध योग)	(671.40)	(23.08)
अमूर्त संपत्तियों की खरीद	(2.13)	(4.15)
प्राप्त ब्याज	248.20	118.02
सावधि जमा से शुद्ध आय	(392.91)	(2,007.90)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह - (बी)	(818.24)	(1,917.11)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय (सुभुगतान के बाद शुद्ध)	207.79	359.84
दीर्घकालिक उधार से प्राप्त आय	97.22	709.51
अल्पकालिक उधार में शुद्ध कमी	(598.12)	-
शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई	22.61	34.46
लाभांश का भुगतान	(74.88)	(35.27)
वित्तीय लागत का भुगतान	(116.99)	(109.22)
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह - (सी)	(462.37)	959.32
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी)	(1,193.03)	1,830.43
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,029.80	199.37
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	836.77	2,029.80
नकदी और नकदी समकक्ष के घटक:		
बैंकों के पास शेष:		
-चालू खातों में	131.18	5.54
-बचत खातों में	705.59	2,024.26
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	836.77	2,029.80
जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक)	4,102.04	3,709.13
निर्धारित खातों में		
- अवैतनिक लाभांश खाते	0.79	0.11
बैलेंस शीट के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 18)	4,939.60	5,739.04

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह.

जितेंद्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13/08/2025

निदेशक मंडल की ओर से

ह.

कपिल भारद्वाज

निदेशक

डीआईएन: 09377124

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.

श्रीमन नारायण पांडे
कंपनी सचिव
एम. सं. F7763

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.

अंजू देवी

निदेशक

डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.

डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यकारी और
निदेशक
डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

ह.

प्रकाश चंद्र
प्रधान-लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ
दिनांक: 13/08/2025

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को 26 अक्टूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसके निगमन प्रमाण पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से निगमित किया गया था। कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य में दूध खरीद कार्यों में लगी हुई है। कंपनी उत्तर प्रदेश के गांवों में 'मिल्क पूलिंग पॉइंट्स' (एमपीपी) के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और अपने ग्राहकों को बेचती है। कंपनी अपने सदस्यों को घी और पशु आहार का भी व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ इस प्रकार हैं:

(क) लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय GAAP) के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जा सके, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जा सके। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग

भारतीय GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसंभितियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशियों और रिपोर्ट की गई आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

(ग) नकदी और नकदी समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकदी में बैंकों के पास शेष राशि और बैंकों के पास माँग जमा राशि शामिल होती है। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली), अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जिन्हें आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

(घ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पहले के लाभ/हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछली या भविष्य की नकदी प्राप्ति या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

(ङ.) राजस्व मान्यता

विक्री को ग्राहकों को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

(च) अन्य आय

जमा पर ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, यदि कोई हो, तो संचित मूल्यहास और क्षति हानि को घटाकर लागत पर रखे जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में उसके क्रय मूल्य से सभी व्यापारिक छूट और रियायतें, सभी आयात शुल्क और अन्य कर (कर अधिकारियों से बाद में वसूल किए जाने वाले करों को छोड़कर), परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर होने वाला कोई भी प्रत्यक्ष व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित उधार पर ब्याज, उस तिथि तक शामिल होता है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर उसके क्रय के बाद किए गए अमूर्त व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों में उसके पिछले मूल्यांकित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती है।

(ज) मूल्यहास और परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, सिवाय निम्नलिखित श्रेणियों की परिसंपत्तियों के, जिनके मामले में परिसंपत्तियों का जीवन तकनीकी सलाह के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वांछी और रखरखाव सहायता आदि को ध्यान में रखा गया है।

अनुसूची II में निर्धारित दरों के अलावा मूल्यहास वसूलने के लिए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
संयंत्र और उपकरण	10
दूध के डिब्बे	4
बैटरी	5
भवन एवं पट्टा परिसर	5
फ़र्निचर व फिक्सचर	10
कंप्यूटर	3
कार्यालय उपकरण	5
सॉफ्टवेयर	6

कंपनी ने मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल") से मूर्त संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनका उपयोग एमडीएफवीपीएल द्वारा अपने व्यवसाय संचालन के लिए किया गया था। उन संपत्तियों पर मूल्यहास उन संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर लगाया जा रहा है।

मूल्यहास मूर्त परिसंपत्तियों को जोड़ने की तिथि से आनुमातिक रूप से प्रदान किया जाता है।

(i) इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में व्यापारिक माल और स्टोर के पुर्जे शामिल होते हैं। जहाँ आवश्यक हो, अप्रचलन और अन्य हानियों को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारत औसत विधि का उपयोग करके किया जाता है। लागत में इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाले सभी खर्च शामिल होते हैं। व्यापारिक माल में उपरिव्यय का उचित अनुपात शामिल होता है।

(जे) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल हैं।

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने पर आवश्यक अंशदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेच्युटी को एक निश्चित लाभ योजना माना जाता है। ग्रेच्युटी बैलेंस शीट की तिथि पर किए गए एकचुरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' पद्धति के अनुसार एकचुरियल मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता, लाभ-हानि विवरण में दर्ज की जाती है। एकचुरियल लाभ और हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

iii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि उस वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जब कर्मचारी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति शामिल हैं, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएँ प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है।

iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएँ प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

(क) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के अनुसार समायोजित किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ परिणाम तनु-विरोधी हों।

(ल) आय पर कर

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की वह राशि है जो लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर को समय के अंतरों पर मान्यता दी जाती है; यह कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक अनुवर्ती अवधियों में उलटा हो सकता है। आस्थगित कर की गणना कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर लागू मूल रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय के अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित हानियों के अलावा अन्य मदों के समय के अंतरों के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें वसूल किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित हानियाँ हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों को वसूल करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसी मदें समान नियामक कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हों और कंपनी के पास ऐसे समायोजन का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार हो।

(एम) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और उससे जुड़ी सहायक लागतें शामिल होती हैं। किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे जुड़ी उधार लागतें, जो योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के आरंभ से लेकर उस परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तिथि तक की अवधि से संबंधित होती हैं, उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की गई हैं।

(न) परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अग्रणीत मूल्यों की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इन परिसंपत्तियों में कोई क्षति-हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो क्षति-हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके निपटान से अपेक्षित अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर भुनाया जाता है, जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

हानि-हानि के प्रत्यावर्तन को लाभ-हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ओ) खंड जानकारी

व्यावसायिक खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और प्रतिफल की प्रकृति और आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एक एकल व्यावसायिक खंड माना गया है।

(पी) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान तब माना जाता है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और इन्हें बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा लेखा टिप्पणियों में किया जाता है।

(क्यू) पट्टे

ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और लाभ मुख्यतः पट्टाकर्ता के पास निहित होते हैं, परिचालन पट्टों के रूप में पहचानी जाती हैं। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा किराया, पट्टा अवधि के दौरान लाभ-हानि खाते के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर पहचानी जाती है।

(आर) परिचालन चक्र

3. शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि लाख रुपये में	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि लाख रुपये में
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर				
(बी) जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी	11.78	1,178.24	9.36	935.99
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर				

नीचे नोट (i) से (v) देखें

नोट्स:

- (i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध
कंपनी ने 100 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले एक वर्ग के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। सदस्य कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार सीमित रिटर्न और बोनस के हकदार हैं।
- (ii) वर्ष के आरंभ और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

विवरण	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ		वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि लाख रुपये में	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	9.36	935.99	4.42	442.39
जोड़ना: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	4.06	406.03	5.45	544.77
कम: वर्ष के दौरान रद्द/समर्पित किए गए शेयर	1.64	163.79	0.51	51.17
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	11.78	1,178.23	9.36	935.99

(iii) किसी भी सदस्य के पास कंपनी की 5% या उससे अधिक शेयर पूंजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या इससे पहले के किसी भी वर्ष में नकद या बोनस शेयरों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(v) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग का विवरण :

क्रमांक I	प्रमोटर का नाम	प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
1	अंकुर कुमार	63	0.00535%	63	0.00673%	-0.001%
2	संजीव	13	0.00110%	13	0.00139%	0.000%
3	जितेंद्र कुमार	87	0.00738%	56	0.00598%	0.001%
4	शैलेंद्र	50	0.00424%	31	0.00331%	0.001%
5	प्रदीप कुमार	45	0.00382%	34	0.00363%	0.000%
6	अनिल कुमार	116	0.00985%	113	0.01207%	-0.002%
7	अंजू देवी	41	0.00348%	33	0.00353%	0.000%
8	वीरेंद्र	37	0.00314%	37	0.00395%	-0.001%
9	कपिल भारद्वाज	45	0.00382%	45	0.00481%	-0.001%
10	सतीश त्यागी	0	0.00000%	21	0.00224%	-0.002%
	कुल	497		446		

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकदी या नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी तब मान्यता प्राप्त होती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान माना जाता है, जिसकी मान्यता परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में दी जाती है, अर्थात्, ऐसे अनुदानों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास शुल्क आस्थगित अनुदान से लिया जाता है और कम मूल्यहास शुल्क के रूप में लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर रखा जाता है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में घटा दिया जाता है।

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

4. भंडार और अधिशेष	31 मार्च, 2025 तक रुपये लाखों में	31 मार्च, 2024 तक रुपये लाखों में
(ए) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक जमा	1,291.79	500.09
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	722.88	827.08
कम:		
(i) वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश)	74.88	35.38
जमा शेष	1,939.79	1,291.79
5. आस्थगित अनुदान		
(ए) प्रारंभिक जमा	43.56	24.46
(बी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजी अनुदान (नोट 32 देखें)		
(i) अचल संपत्तियों के लिए	816.73	22.42
(सी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया राजस्व अनुदान (नोट 32 देखें)		
(i) इन्वेंटरी के लिए	25.32	-
(डी) घटाएँ: पूंजी अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (नोट 14 देखें)	(60.44)	(3.32)
6. दीर्घकालिक उधार		
सुरक्षित		
(ए) सावधि ऋण		
(i) मदर डेयरी से (नोट 6.1 देखें)	1,001.80	1,502.71
(ii) एनडीडीबी से (नोट 6.2 देखें)	709.51	709.51
दीर्घकालिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता (नोट 10 देखें)	(608.77)	(1,206.89)
	1,102.54	1,005.33
6.1. (ए) मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल") द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,788 लाख रुपये का सुरक्षित ऋण स्वीकृत किया गया था। (बी) वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2022-23 में 1,502.71 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। ऋण वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य है। (सी) ऋण में फ्लोटिंग दर पर ब्याज लगता है जो पांच साल की सरकारी सुरक्षा की प्रचलित उपज से कम नहीं होगा। (डी) एमडीएफवीपीएल के पास कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल संपत्तियों पर पहला सम -पासु भार होगा।		
6.2. (ए) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में JICA परियोजना के तहत 1023.86 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक 709.51 लाख रुपये प्राप्त हुए। (ब). ऋण पर 1.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और इसे पहली बार जारी होने की तिथि से मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 10 वर्षों की अवधि के भीतर 96 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है। मूलधन और ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना है। (c). कंपनी ने ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए 107.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 705.99 लाख रुपये) को अल्पकालिक उधार के रूप में वर्गीकृत किया था। (d). एनडीडीबी का कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल संपत्तियों पर समान रूप से प्रथम प्रभार होगा।		
7. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां) (शुद्ध)		
(ए) आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	42.20	28.09
ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान	16.07	13.09
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)	58.27	41.18
8. अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ		
(ए) प्रतिभूति जमा	640.28	434.03
9. दीर्घकालिक प्रावधान		
(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए	33.99	29.22
(ii) ग्रेच्युटी के लिए	19.25	12.90

		31 मार्च, 2025 तक रुपये लाखों में	31 मार्च, 2024 तक रुपये लाखों में		
10.	अल्पकालिक उधार				
	असुरक्षित ऋण				
	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता (नोट 6 देखें)				
	(i) मदर डेयरी से	500.90	500.90		
	(ii) एनडीडीबी से	107.87	705.99		
		608.77	1,206.89		
	नोट: JICA परियोजनाओं के तहत एनडीडीबी से 709.51 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें से 31 मार्च 2025 तक 107.87 लाख रुपये अप्रयुक्त थे और कुल 1502.70 लाख रुपये के ऋण में से 500.90 लाख रुपये एमडीएफवीपीएल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देय हैं।				
11	व्यापार देयताएं				
	(स्वीकृतियों के अलावा)				
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	15.07	18.34		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	2,423.57	2,414.56		
		2,438.64	2,432.90		
	11.1 व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची				
		31 मार्च, 2025 तक लेनदेन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	रुपये लाखों में कुल
(i) एमएसएमई	15.07	-	-	-	15.07
(ii) अन्य व्यापार देयताएं विवादित बकाया -	2,423.57	-	-	-	2,423.57
(iii) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य व्यापारिक देय	-	-	-	-	-
कुल	2,438.64	-	-	-	2,438.64
		31 मार्च, 2024 तक लेनदेन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	रुपये लाखों में कुल
(i) एमएसएमई	18.34	-	-	#	18.34
(ii) अन्य विवादित बकाया -	2,414.56	-	-	#	2,414.56
(iii) एमएसएमई	-	-	-	#	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	#	-
कुल	2,432.90	-	-	-	2,432.90
					31 मार्च, 2025 तक रुपये लाखों में
12.	अन्य वर्तमान देनदारियां				31 मार्च, 2024 तक रुपये लाखों में
एक	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए देय	-			15.26
बी	उपयोग के बाद) (नोट 32 देखें)	570.34			1,301.68
सी	वैधानिक देयताएं	26.68			82.10
डी	सुरक्षा जमा	86.19			85.64
ई.	कर्मचारी व्यय देय	12.73			22.24
एफ	अवैतनिक लाभांश	0.79			0.11
जी	देय ब्याज	16.83			-
		713.56			1,507.03
13.	अल्पकालिक प्रावधान				
(ए)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
(i)	क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए	8.03			8.02
(ii)	ग्रेच्युटी के लिए	2.57			1.85
(बी)	आयकर के लिए प्रावधान	-			9.96
		10.60			19.83

14. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण		रुपये लाखों में					
		पट्टाधृत सुधार	संयंत्र और उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	कुल
एक	सकल ब्लॉक						
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	1,434.56	2.04	79.04	4.91	1,520.55
	वर्ष के लिए परिवर्धन	76.18	56.94	3.91	-	3.60	140.63
	वर्ष के लिए निपटान	-	(2.21)	-	-	-	(2.21)
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	76.18	1,489.29	5.95	79.04	8.51	1,658.97
	वर्ष के लिए परिवर्धन	-	1,450.95	10.94	1.87	9.11	1,472.87
	वर्ष के लिए निपटान	-	(2.13)	-	-	-	(2.13)
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	76.18	2,938.11	16.89	80.91	17.62	3,129.71
बी	संचित मूल्यहास						
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	273.55	0.29	17.69	0.95	292.48
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय	12.63	325.68	0.44	29.51	1.83	370.09
	निपटान पर उन्मूलन	-	(0.58)	-	-	-	(0.58)
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	12.63	598.65	0.73	47.20	2.78	661.99
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय	14.44	310.41	1.16	24.30	2.50	352.81
	निपटान पर उन्मूलन	-	(1.85)	-	-	-	(1.85)
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	27.07	907.21	1.89	71.50	5.28	1,012.95
सी	वहन राशि						
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	63.55	890.64	5.22	31.84	5.73	996.98
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	49.11	2,030.90	15.00	9.41	12.34	2,116.76
टिप्पणी:							
(i)	मूल्यहास और परिशोधन :	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 क समाप्त हुआ				
	मूर्त संपत्ति	352.81	370.09				
	अमूर्त संपत्ति	4.62	0.46				
	घटाएँ: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास (नोट 14.1 देखें)	(60.45)	(3.32)				
		296.98	367.23				
(ii)	का कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल संपत्तियों पर प्रथम सम -प्रभार होगा।						
टिप्पणी:							
14.1	पूँजी अनुदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (नोट 32 और नोट 5 देखें):						
		पट्टाधृत सुधार	संयंत्र और उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	कुल
ए	सकल ब्लॉक						
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के लिए परिवर्धन	-	44.57	0.06	-	2.25	46.88
	वर्ष के लिए निपटान	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	-	44.57	0.06	-	2.25	46.88
	वर्ष के लिए परिवर्धन	-	815.05	-	1.68	-	816.73
	वर्ष के लिए निपटान	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	859.62	0.06	1.68	2.25	863.61

बी	<u>संचित मूल्यहास</u>					
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	-	-	-	-
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय	-	2.91	0.01	-	3.32
	निपटान पर उन्मूलन	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	-	2.91	0.01	-	3.32
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय	-	59.67	0.01	0.41	60.45
	निपटान पर उन्मूलन	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	62.58	0.02	0.41	63.77

सी	<u>वहन राशि</u>					
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	-	41.66	0.05	-	43.56
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	797.04	0.04	1.27	799.84

14.2	<u>अमूर्त संपत्ति</u>					रुपये लाखों में सॉफ्टवेयर
ए	<u>सकल ब्लॉक</u>					
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि					12.14
	वर्ष के लिए परिवर्धन					4.15
	वर्ष के लिए निपटान					-
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि					16.29
	वर्ष के लिए परिवर्धन					2.13
	वर्ष के लिए निपटान					-
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि					18.42
बी	<u>संचित मूल्यहास</u>					
	01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि					0.07
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय					0.46
	निपटान पर उन्मूलन					-
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि					0.53
	वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय					4.62
	निपटान पर उन्मूलन					-
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि					5.15
सी	<u>पेसा ले जाने</u>					
	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि					15.76
	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि					13.27

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	31 मार्च, 2025 तक रुपये लाखों में	31 मार्च, 2024 तक रुपये लाखों में
15. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) (ए) प्रतिभूति जमा (बी) अग्रिम आयकर (कर के प्रावधान को घटाकर)	117.76	
16. सूची (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो) (ए) पारगमन में व्यापारिक माल (बी) व्यापारिक माल (सी) भंडार और स्पेयर्स (नीचे नोट देखें)	164.57 13.31 51.44 229.32	188.25 18.87 43.30 250.42
नोट: भंडार और स्पेयर्स की कीमत 25.32 लाख रुपये है, जो JICA अनुदान के तहत प्राप्त राशि से खरीदे गए हैं। (नोट 32 देखें)		
17. व्यापार प्राप्तियां (i) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,914.74 1,914.74	1,770.00 1,770.00

17.1 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची:

विवरण	31 मार्च, 2023 तक लेनदेन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					रुपये लाखों में कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य						
(क) अच्छा माना गया	1,914.74	-	-	-	-	1,914.74
(ख) संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य						
(क) अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(ख) संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
कुल	1,914.74	-	-	-	-	1,914.74

17.2 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची:

विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					रुपये लाखों में कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य						
(क) अच्छा माना गया	1,770.00	-	-	-	-	1,770.00
(ख) संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य						
(क) अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(ख) संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
कुल	1,770.00	-	-	-	-	1,770.00

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स
31 मार्च, 2025 तक
रुपये लाखों में

31 मार्च, 2024 तक
रुपये लाखों में

18. नकद और नकद के समान			
(ए) बैंक में शेष राशि			
(i) चालू खातों में	131.18		5.54
(ii) बचत खातों में	705.59		2,024.26
एएस-3 के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष - नकदी प्रवाह विवरण	836.77		2,029.80
(बी) अन्य बैंक बैलेंस			
(i) जमा खातों में			
-3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता	4,102.04		3,709.13
(ii) निर्धारित खातों में			
- अदत लाभंशा खाते	0.79		0.11
	4,939.60		5,739.04
19. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			
(असुरक्षित, अच्छा माना गया)			
(ए) विक्रेताओं को अग्रिम	1.91		35.04
(बी) पूर्वदत्त व्यय	11.07		11.51
	12.98		46.55
20. अन्य चालू परिसंपत्तियां			
(असुरक्षित, अच्छा माना गया)			
(ए) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	126.80		90.07
	126.80		90.07
21. परिचालन से राजस्व			
उत्पादों की बिक्री			
i. कच्चे दूध की बिक्री	42,941.57		43,740.38
ii. मवेशी चारे की बिक्री	2,317.40		1,436.93
iii. घी की बिक्री	123.78		106.41
iv. एमएमपी की बिक्री	10.70		4.73
	45,393.45		45,288.45
22. अन्य कमाई			
(ए) ब्याज आय			
(i) बैंकों में जमा राशि पर	284.93		170.66
(बी) अन्य गैर-परिचालन आय			
(i) सदस्यता शुल्क	16.08		16.92
(ii) बायो गैस संयंत्र की बिक्री पर प्रोत्साहन	0.24		3.19
(iii) देयताएं खारिज किया गया	88.58		-
(iv) विविध आय	32.70		36.99
	422.53		227.76

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोक्स

वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ

	रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
23. व्यापारिक वस्तुओं की खरीद		
(ए) कच्चे दूध की खरीद	40,446.06	40,731.56
(बी) मवेशी चारा की खरीद	2,102.77	1,354.29
(सी) घी की खरीद	114.53	100.89
(डी) एमएमपी की खरीद	2.07	4.04
	42,665.43	42,190.78
24. व्यापारिक वस्तुओं की सूची में परिवर्तन		
(ए) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
(i) व्यापार का कुल माल	207.12	146.61
	207.12	146.61
(बी) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		
(i) व्यापार का कुल माल	177.89	207.12
	177.89	207.12
इन्वेंटरी में शुद्ध (वृद्धि)/कमी	29.23	(60.51)
25. कर्मचारी लाभ व्यय		
(ए) वेतन और मजदूरी	362.12	337.03
(बी) भविष्य निधि (नोट 29 देखें)	22.55	19.95
(सी) ग्रेज्युटी व्यय (नोट 29 देखें)	11.08	10.65
(डी) कर्मचारी कल्याण व्यय	17.22	8.50
	412.97	376.13

हरित प्रदेश लुध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में
26. वित्त लागत		
(ए) उधार पर ब्याज	111.00	108.02
(बी) करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	5.99	1.20
	116.99	109.22
27. अन्य खर्चों		
i स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	47.35	84.88
ii किराया	40.70	34.86
iii मरम्मत और रखरखाव	26.18	77.04
iv बीमा शुल्क	29.84	18.15
v देरें और कर	17.39	11.27
vi वितरण, माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	479.13	336.95
vii आउटसोर्स जनशक्ति व्यय	399.94	341.27
viii कानूनी और पेशेवर शुल्क	79.58	51.82
ix लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	21.48	18.56
x वाहन चलाने का खर्च	61.72	55.79
xi संचार व्यय	15.33	14.01
xii संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का त्याग	0.28	1.64
xiii मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	17.21	7.51
xiv यात्रा और परिवहन	15.07	6.12
xv शक्ति और ईंधन	4.68	-
xvi कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर (नीचे नोट (ii) देखें)	11.85	6.73
xvii सदस्य प्रोत्साहन	-	308.00
xviii विविध व्यय	52.86	45.98
	1,320.59	1,420.58
टिप्पणी:		
(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:		
ए वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	15.25	13.69
बी कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.75	1.79
सी कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	1.42	0.31
डी उपरोक्त पर वस्तु एवं सेवा कर	3.06	2.78
	21.48	18.57
(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण:		
ए वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	11.85	6.73
बी वर्ष के दौरान व्यय की गई वास्तविक राशि:		
i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	11.85	6.73
	11.85	6.73
(iii) अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	-	-
(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
(v) आगामी वित्तीय वर्षों के लिए सेट ऑफ उपलब्ध है	-	-
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	*	#

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में परिकल्पित भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में सीएसआर गतिविधियों के कारण 11.85 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

28. कंपनी हिस्सा प्राप्त हुआ है आवेदन धन रुपये का 22.61 लाख (पिछले वर्ष) रु.34.46 लाख) के विरुद्ध किस कंपनी में है आवंटित 22610 शेयरों का रु. 22.61 लाखों में अगला वित्तीय वर्ष में तख्ता बैठक आयोजित पर 17 मई 2025 (पिछला वर्ष - 34460 शेयरों का रु. 34.46 लाखों पर तख्ता बैठक आयोजित पर 25 मई, 2024. शेयरों थे शेयर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित किया जाएगा।

29. कर्मचारी फ़ायदा योजनाएँ:

परिभाषित योगदान योजनाओ

कंपनी बनाता है चौकस फंड योगदान कौन हैं परिभाषित योगदान योजनाएँ, के लिए सभी कर्मचारी। अंतर्गत इस योजना के तहत, कंपनी को लाभ के वित्तपोषण के लिए वेतन लागत का एक निर्दिष्ट प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है। योगदान देय को इन की योजना द्वारा कंपनी हैं पर दरे निर्दिष्ट में कर्मचारी' चौकस फंड योजना, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान के लिए 22.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19.95 लाख रुपये) की राशि स्वीकृत की है। लाभ और हानि का विवरण.

परिभाषित फ़ायदा योजना

कंपनी ऑफर इसका कर्मचारी परिभाषित लाभ योजना में रूप का ए उपहार योजना (ए पिंड जोड़ मात्रा)। इसके अंतर्गत लाभ परिभाषित फ़ायदा योजना है आधारित पर साल का सेवा और कर्मचारी मुआवज़ा तुरंत अलग होने से पहले। ग्रेच्युटी योजना सभी कर्मचारियों को कवर करती है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। लाभ और हानि का बदल गया बीमांकिक धारणाएँ हैं पर आरोप लगाया गया कथन का लाभ और हानि.

अगले टेबल तय करना बाहर स्थिति का परिभाषित फ़ायदा योजना में आदर का ग्रेच्युटी:

a. परिवर्तन में परिभाषित फ़ायदा दायित्व	वर्ष समाप्त	वर्ष समाप्त
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	लाखों रुपये में	लाखों रुपये में
उपस्थित कीमत का दायित्व पर शुरुआत का वर्ष	14.75	6.24
दिलचस्पी व्यय	0.92	0.38
मौजूदा सेवा लागत	9.38	8.03
फ़ायदे चुकाया गया	(4.00)	(2.14)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.77	2.24
उपस्थित कीमत का दायित्वों पर अंत का वर्ष	21.82	14.75
b. मात्रा मान्यता प्राप्त में संतुलन चादर	वर्ष 31 मार्च, 2025	वर्ष 31 मार्च, 2024
	को समाप्त हुआ	को समाप्त हुआ
	रुपए में लाखों	रुपए में लाखों
उपस्थित कीमत का परिभाषित फ़ायदा दायित्वों	21.82	14.75
जाल देयता/(परिसंपत्ति) मान्यता प्राप्त में संतुलन चादर (देखना टिप्पणी 9 और टिप्पणी 13)	21.82	14.75

मौजूदा सेवा लागत
दिलचस्पी लागत
जाल बीमांकिक (लाभ)/हानि मान्यता प्राप्त दौरान वर्ष
खर्च मान्यता प्राप्त में कथन का लाभ और नुकसान (देखना टिप्पणी 25)

रुपए में लाखों	रुपए में लाखों
9.38	8.03
0.92	0.38
0.77	2.24
11.07	10.65

c. संतुलन चादर मुलह

वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ

उपस्थित कीमत का दायित्व पर शुरुआत का वर्ष
गोरा कीमत का योजना संपत्ति पर शुरुआत का वर्ष
खर्च जैसा ऊपर
योगदान
फ़ायदे चुकाया गया सीधे द्वारा कंपनी
जाल देयता/(परिसंपत्ति) पर अंत का वर्ष

रुपए में लाखों	रुपए में लाखों
14.75	6.24
11.07	10.65
-	-
(4.00)	(2.14)
21.82	14.75

प्रधानाचार्य बीमांकिक मान्यताओं

वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ

d. छूट दर

अपेक्षित वेतन एस्केलेशन
संघर्षण दर (में वर्ष)
शेष काम जीवन
मृत्यु दर मेज़ इस्तेमाल किया गया

6.96%	7.23%
11.00%	11.00%
12.00%	12.00%
19.69	19.91
आईएल 2012- 14 अंतिम	आईएल 2012- 14 अंतिम

अपेक्षित दर का वापस करना पर योजना संपत्ति है वृद्ध निश्चय वाला बाद मानते हुए, अनेक उपयुक्त कारकों ऐसा जैसा योजना परिसंपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि।

अनुमान का भविष्य वेतन बढ़ता है माना, लेता है में खाता मुद्रा स्फ़ीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारक।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार अनुभव समायोजन

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ

वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ

	रुपए में लाखों	रुपये में लाखों	रुपए में लाखों
(एफ) उपस्थित कीमत का दायित्व	21.82	14.75	6.24
वित्त पोषित स्थिति	(21.82)	(14.75)	(6.24)
लाभ/(हानि) पर दायित्वों	0.77	2.24	(0.99)
लाभ/(हानि) पर योजना संपत्ति	-	-	-
बीमांकिक मान्यताओं के लिए मुआवजा दिया अनुपस्थिति.			

(जी) बीमांकिक मान्यताओं इस्तेमाल किया गया के लिए मूल्यांकन का देयता के लिए मुआवजा दिया अनुपस्थिति है वही जैसा उल्लिखित में बिंदु सं.(ई) ऊपर।

हरित प्रदेश लुध उल्पादक कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

30. रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह संहिता भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, हालांकि, यह संहिता कब से लागू होगी, इसकी अधिसूचना अभी बाकी है। कंपनी संहिता और उससे संबंधित नियमों के अधिसूचित होने पर प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता और उससे संबंधित नियमों के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगी।

31. प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	इकाई	वर्ष	
		31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
कर के बाद शुद्ध लाभ	रुपये लाखों में	722.88	827.08
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	नंबर	963,416	648,672
इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य	रुपए	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपए	75.03	127.50
प्रति शेयर तनु आय की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर	नंबर	963,416	648,672
डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर	रुपए	75.03	127.50

32. सरकारी अनुदानों का विवरण

कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता किया है और एनडीडीबी ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के अंतर्गत कंपनी को "सहकारिता के माध्यम से डेयरी (डीटीसी)" योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान प्रदान किया है ताकि उक्त परियोजना से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कि (क) दूध खरीद अवसंरचना का सुदृढीकरण, (ख) उत्पादकता में वृद्धि और (ग) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, संवाहित की जा सकें।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) परियोजना के लिए एनडीडीबी से प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	वर्ष समाप्त	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में
एमएमपी और JICA परियोजनाएं		
(i) प्रारंभिक जमा	1,301.69	(6.03)*
ए पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए	1,210.63	0.54
बी राजस्व व्यय के लिए	91.06	(6.57)
(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त	254.85	1,366.78
ए पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए	-	1,240.78
बी राजस्व व्यय के लिए	254.85	126.00
(iii) निधि पर ब्याज	37.07	3.17
(ए) कुल प्राप्त (i)+(ii)+(iii)	1,593.61	1,363.92
(iv) घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग /समायोजित (नीचे नोट देखें)		
ए पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए (नीचे नोट देखें)	816.73	22.42
बी राजस्व व्यय के लिए	206.54	39.82
(बी) कुल उपयोग	1,023.27	62.24
(v) आगे ले जाया गया शेष (नोट 12 देखें) (एबी)	570.34	1,301.68
ए पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए	393.91	1,218.89
बी राजस्व व्यय के लिए	176.43	82.79

* खाद प्रबंधन परियोजना (एमएमपी) से संबंधित प्रारंभिक शेष राशि वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त हुई। एमएमपी परियोजना वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी हो गई।

हरित प्रदेश दुध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ रुपये लाखों में
i. उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है:		
ए वर्ष के दौरान पीपीई के अंतर्गत परिसंपत्तियों में वृद्धि (नोट 14 देखें)	816.73	22.42
ii. उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है:		
ए एमपीपी सहायक उपकरण (नीचे नोट देखें)	33.53	-
बी एमपीपी को सहायता (नीचे नोट बी देखें)	46.92	-
सी फ़ीड/बीज पर सब्सिडी	49.61	-
डी प्रशिक्षण	25.68	-
ई प्रचार सामग्री	13.04	-
एफ वेतन और मजदूरी	16.57	12.34
जी वाहन चलाने का खर्च	3.27	1.19
एच विविध व्यय	17.92	26.29
कुल	1,023.27	62.24
ए पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है तथा उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्ययों से घटा दिया गया है।		
बी यह राशि वर्ष के दौरान JICA अनुदान से की गई खरीदारी से संबंधित है। 33.53 लाख रुपये में से, वर्ष के दौरान 8.20 लाख रुपये मूल्य के बहुदेशीय परियोजना उपकरणों का उपभोग किया गया है। शेष 25.32 लाख रुपये को 31 मार्च, 2025 तक इन्वेंट्री के रूप में और संबंधित राशि को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। (नोट 16 देखें)		

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

33. अनुपात:

क्रमांक	अनुपात	अंश/हर	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	(%)
1	वर्तमान अनुपात (समय में) (नोट ए देखें)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	1.92	1.53	25%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में) (नोट बी देखें)	कुल ऋण ⁽¹⁾ / शेयरधारक की इक्विटी	0.55	0.99	-44%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय ⁽²⁾ / ऋण सेवा ⁽³⁾	10.19	12.06	-16%
4	इक्विटी पर रिटर्न अनुपात (% में) (नोट सी देखें)	कर के बाद लाभ/औसत शेयरधारक की इक्विटी ⁽⁴⁾	27.00%	52.00%	-48%
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व/औसत इन्वेंट्री ⁽⁵⁾	189.24	203.34	-7%
6	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य ⁽⁶⁾	24.64	28.39	-13%
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	व्यापारिक वस्तुओं की खरीद/औसत व्यापार देय ⁽⁷⁾	17.52	21.04	-17%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में) (नोट डी देखें)	परिचालन से राजस्व/औसत कार्यशील पूंजी ⁽⁹⁾	14.69	20.29	-28%
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद लाभ/परिचालन से राजस्व	2.00%	2.00%	0%
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ईबीआईटी ⁽¹⁰⁾ / नियोजित पूंजी ⁽¹¹⁾	22.00%	27.00%	-19%
11	निवेश पर प्रतिफल ⁽¹²⁾	लाभांश आय/औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%

स्पष्टीकरण:

- कुल ऋण = अल्पकालिक उधार + दीर्घकालिक उधार
- ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय (EBITDA) = कर से पहले का लाभ + मूल्यहास और परिशोधन व्यय + वित्तीय लागत
- ऋण सेवा = वित्तीय लागत
- औसत शेयरधारक इक्विटी = (प्रारंभिक शेयरधारक निधि + समापन शेयरधारक निधि)/2
- औसत इन्वेंट्री = (प्रारंभिक इन्वेंट्री + समापन इन्वेंट्री)/2
- औसत व्यापार प्राप्य = (प्रारंभिक व्यापार प्राप्य + अंतिम व्यापार प्राप्य)/2
- औसत व्यापार देय = (प्रारंभिक व्यापार देय + अंतिम व्यापार देय)/2
- कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां - वर्तमान देयताएं
- औसत कार्यशील पूंजी = (प्रारंभिक कार्यशील पूंजी + अंतिम कार्यशील पूंजी)/2
- ब्याज और कर से पहले की कमाई (EBIT) = कर से पहले का लाभ + वित्तीय लागत
- नियोजित पूंजी = शेयरधारक की इक्विटी + कुल ऋण ± आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति
- कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है। इसलिए, यह अनुपात लागू नहीं होता है।

नोट्स

- ए चालू वर्ष के दौरान, चालू देनदारियों में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 722.44 लाख रुपये की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।
- बी चालू वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अल्पावधि उधारी में 598.12 लाख रुपये की कमी आई है तथा शेयरधारक निधि में 890.25 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
- सी चालू वर्ष के दौरान, कर-पश्चात लाभ में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 104.20 लाख रुपये की कमी आई है तथा औसत शेयरधारक इक्विटी में 1087.79 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
- डी चालू वर्ष के दौरान, परिचालन से प्राप्त राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 105.00 लाख रुपये की वृद्धि हुई है तथा औसत कार्यशील पूंजी में 858.22 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

34. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(क) संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

रिश्ते की प्रकृति

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ख) उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति और राशि निम्नानुसार है:

व्यक्ति का नाम

डॉ. हितेश पूनिया

(लाख रुपए में)

लेनदेन की प्रकृति	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ केएमपी	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ केएमपी
प्रबंधकीय पारिश्रमिक:		
डॉ. हितेश पूनिया		
- लघु अवधि	39.46	29.67
- दीर्घकालिक	6.13	-

5 जुलाई, 2024 से, डॉ. हितेश पूनिया एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुए। उपरोक्त राशि में डॉ. हितेश पूनिया की प्रतिनियुक्ति के लिए एनडीएस को भुगतान की गई 27.68 लाख रुपये की राशि शामिल है।

35. कंपनी दूध, पशु आहार और दुग्ध उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एक ही व्यावसायिक खंड माना जाता है। कंपनी एक ही भौगोलिक खंड में काम करती है। खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक AS-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक ही व्यावसायिक और भौगोलिक खंड में काम करती है।

36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यक है।

विवरण

	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
(क) लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि;	15.07	18.34
(ख) लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान न किया जाना;	-	-
(ग) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि;	-	-
(घ) वर्ष के लिए देय ब्याज की राशि;	-	-
(इ) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; और	-	-
(च) आगामी वर्ष में भी देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपर्युक्त ब्याज की राशि वास्तव में चुकाई नहीं जाती।	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। लेखापरीक्षकों ने इसी पर भरोसा किया है।

37. कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से, या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) इस समझ के साथ नहीं दी गई है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ने किसी भी पक्ष(यों) (वित्त पोषण पक्ष) से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

38. कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टा व्यवस्था की है। ये पट्टे 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं, जिसमें 3 वर्ष की गैर-रद्द करने योग्य अवधि शामिल है। पट्टा समझौते में परिसर के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत दायित्व के संबंध में 22.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 21.82 लाख रुपये) के पट्टा किराया व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार है :

विवरण	(लाख रुपए में)	
	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
एक वर्ष से अधिक समय तक देय नहीं	22.92	22.19
एक वर्ष के बाद देय लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं	15.28	15.28
पांच वर्ष से अधिक समय बाद देय	-	-

39. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशकों ने 13 अगस्त 2025 को अपनी बैठक में पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों पर 94.26 लाख रुपये (8 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

40. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध
31 मार्च 2025

हटाई गई कंपनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध	(लाख रुपए में)	
			वर्ष 31 मार्च 2025 के दौरान लेनदेन	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि
-	-	-	-	-

31 मार्च 2024

हटाई गई कंपनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध	(लाख रुपए में)	
			वर्ष 31 मार्च 2024 के दौरान लेनदेन	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि
हिंदुस्तान केमिकल प्राइवेट लिमिटेड	व्यापार	विक्रेता	5.34	-

41. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

42. 5 अगस्त, 2022 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी (लेखा) चतुर्थ संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, कंपनियों को अपने लेखा-बही और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों व कागजातों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में बैकअप रखना आवश्यक है, जो भारत में हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों पर दैनिक आधार पर खातों का बैकअप रखना आवश्यक है। कंपनी के लेखा-बही और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों व दस्तावेजों का रखरखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाता है। हालांकि, कंपनी ने दैनिक आधार पर बैकअप तो बनाए रखा है, लेकिन निर्दिष्ट अवधि तक उसे सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था नहीं है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह. कपिल भारद्वाज निदेशक डीआईएन: 09377124	ह. अंजू देवी निदेशक डीआईएन: 09377125	ह. डॉ. हितेश पूनिया मुख्य कार्यकारी और निदेशक डीआईएन: 09443126
स्थान: मेरठ दिनांक: 3/08/2025	स्थान: मेरठ दिनांक: 13/08/2025	स्थान: मेरठ दिनांक: 13/08/2025
ह. श्रीमन नारायण पांडे कंपनी सचिव एम. सं. F7763		ह. प्रकाश चंद्र प्रमुख - लेखा एवं वित्त
स्थान: मेरठ दिनांक: 3/08/2025		स्थान: मेरठ दिनांक: 13/08/2025

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत
दूरभाष संख्या : 0121-2995900
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 20, सितम्बर 2025 को 'होटल गोडविन, एनएच-58, बागपत बाईपास क्रासिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250 002' में प्रातः 11:30 बजे निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाया एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

2. कंपनी की अंश पूँजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) की घोषणा पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लाभ में से ₹. 100/- वाले 11,78,237 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर ₹.8/- प्रति समता अंश की दर से, कुल ₹.94,25,896 वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।"

3. "श्रेणी A" में आने वाले निदेशक श्री कपिल भारद्वाज (DIN:09377124) के स्थान पर निदेशक नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रवीण कुमार (फोलियो न.0003370) को, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र न होने वाले श्री कपिल भारद्वाज के स्थान पर, कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

4. "श्रेणी A" में आने वाले निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह (DIN: 09377123) के स्थान पर निदेशक नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मोहित कुमार (फोलियो न.0003957) को, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र न होने वाले श्री शैलेन्द्र सिंह के स्थान पर, कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

5. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री प्रदीप कुमार को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

6. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न.0003401) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री विश्वजीत को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

7. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री दिगंबर सिंह (फोलियो न.0008415) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री दिगंबर सिंह को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

8. 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट स्वीकृत करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए कंपनी का प्रस्तुत बजट अनुमानों को, जैसा कि वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृत किया जाता है।"

9. "सदस्यों को सदस्यता के आधार (patronage) पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के लिए संशोधित मानदंड पर विचार करने और स्वीकृति देने हेतु, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना।"

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, 29 नवंबर 2021 को आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव की अपेक्षा, यहाँ नीचे सदस्यता में सदस्यों की व्यावसायिक भागीदारी (patronage) के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करने हेतु संशोधित मानदंड अनुमोदित किए जाएँ।":

क्र.	मानदंड	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'
1.	एक वर्ष में कंपनी को आपूर्ति किये गए दूध के दिनों की संख्या	>=300	>=270	>=200
2.	वर्ष में कंपनी को आपूर्ति की गई कुल दूध की मात्रा (लीटर में)	>=6000	>=3000	>=500
3.	फ्लश अवधि (अर्थात् नवंबर से फरवरी) और लीन अवधि (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) में दूध आपूर्ति का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक होना चाहिए।	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

		होना चाहिए।		
4.	सदस्य द्वारा ली गई कंपनी के शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गई अंश पूँजी की राशि)	60 अंश	30 अंश	5 अंश

टिप्पणी –

- a) वास्तविक अंश पूँजी योगदान या वास्तविक दूध आपूर्ति मात्रा, जो भी कम होगी, उसे वर्गीकरण निर्धारित करने के उद्देश्य से माना जाएगा।
- b) पेट्रनेज (सहभागिता) की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा:
- वे सदस्य जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित किया गया है और जिनकी सदस्यता के 365 दिन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने न्यूनतम आवश्यक अंश पूँजी सदस्यता ली है, उन्हें उस वर्ग में माना जाएगा।
 - कोई भी सदस्य जो “क्लास A” या “क्लास B” के मानदंड पूरे नहीं करता है, उसे उपयुक्त निम्नतर वर्ग में रखा जा सकता है, जिसके मानदंड वह पूरा करता हो। हालांकि, ऐसे सदस्य उस वर्ष निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
 - वे सदस्य जो कम से कम “क्लास C” में बने रहने के लिए आवश्यक मानदंड पूरे नहीं करते हैं, उन्हें कंपनी के उपविधियों के अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता समाप्ति का नोटिस जारी किया जाएगा।

उपरोक्त को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया जाता है तथा यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।

10. निदेशक मंडल में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने हेतु परिभाषित मानदंडों के आधार पर ‘नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश’ में संशोधन पर विचार एवं स्वीकृति प्रदान करना।

इस पर विचार करने और उपयुक्त समझे जाने पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A की प्रासंगिक धाराओं, विशेष रूप से धारा 378-I, धारा 14, एवं अन्य संबंधित प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत, तथा इस संबंध में पूर्व में पारित किसी भी प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति 'नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश' को निम्नानुसार संशोधित करने के लिए दी जाती है:

(i) हरित प्रदेश मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) का निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर, कंपनी के निदेशक मंडल में ‘उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद’ हेतु संभावित उम्मीदवार का सुझाव देने के लिए एक “नामांकन समिति” (NC) का गठन करेगा।

(ii) निदेशक मंडल (क्लास A, क्लास B या क्लास C श्रेणी के अंतर्गत) में उत्पादक निदेशक के रिक्त पद की घोषणा कंपनी का निदेशक मंडल करेगा। पात्र सदस्यों से नामांकन हेतु आमंत्रण की सूचना (रिक्त पदों की संख्या के अनुसार) कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट (यदि हो) पर, और/या सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर, और/या कंपनी में पंजीकृत ईमेल पते पर भेजकर, और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है।

(iii) निदेशक मंडल एक प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसका पालन ‘नामांकन समिति’ द्वारा ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान करने हेतु किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद में उल्लिखित है।

(iv) “नामांकन समिति” नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए प्रत्येक मानदंड के अनुसार पात्र आवेदक के लिए ‘आवेदक की पात्रता अंक’ निर्धारित करेगी:

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे (95% या अधिक दिन - 30, 85% से < 95% दिन-20, 75% से < 85%-15 65% से < 75%-10, 55% से 65%-5, <55%-0)	30
इस अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण अधिशेष (सरप्लस) की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी / संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (अ, ब, स) में से किसी एक की निरंतर सदस्यता बनाकर रखने पर - प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक दिये जायेंगे।	30
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता: पुरुषों के लिए 12वीं पास होने पर 5 अंक, स्नातक होने पर -10 अंक परास्नातक होने पर - 15 अंक, महिलाओं के लिए 10 वीं पास होने पर 5 अंक, 12 वीं पास होने पर -10 - अंक, स्नातक पास होने पर - 15 अंक	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया - सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी / एमआरजी: (5 अंक); एलडीपी (लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम) / बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) निदेशक मंडल द्वारा गठित ‘नामांकन समिति’ में निम्न सदस्य शामिल होंगे:

(i) उस सदस्यता वर्ग से एक **उत्पादक-सदस्य निदेशक**, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्त होने वाला न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हों, तो एक **नामांकन समिति सदस्य** का चयन, आपसी सहमति के अभाव में, **लॉटरी (चिट्ठी निकालकर)** किया जाएगा। यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध न हो, तो अन्य किसी उत्पादक-सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति या लॉटरी द्वारा चयनित किया जाएगा।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल में से एक **विशेषज्ञ निदेशक**।

(iii) किसी **प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान** अथवा ऐसे संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का **कंपनी सचिव** ‘नामांकन समिति’ की सहायता करेगा और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों, जिसमें नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) शामिल हैं, के रख-रखाव का उत्तरदायी होगा।

(vi) ‘नामांकन समिति’ का कार्यकाल, समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के निदेशक मंडल को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक रहेगा।

(vii) निदेशक मंडल, ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान करने हेतु ‘नामांकन समिति’ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित

करेगा।

“पुनः यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को पूर्णतया विवेक के आधार पर आवश्यक और उचित समझे जाने वाले सभी उपाय, कार्य, कृत्य, मामले एवं अन्य क्रियाएं करने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने के लिए यहाँ अधिकृत किया जाता है।” इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने, सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं व्यवस्थाएँ करने, तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने के लिए, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार से अधिकृत होगा।

11. एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी को सब्सक्राइब करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अन्तनियम एवं बहिर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों / कानूनों (जिसमें समय-समय पर किये गये वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम को भी शामिल किया जाये) के अन्तर्गत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि कंपनी एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य बने और कंपनी के सामान्य भण्डार (General Reserves) की अधिकतम 30% सीमा तक उस बहु राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है, कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही करने और दस्तावेज निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
हरित प्रदेश मिल्लक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह.
श्रीमन नारायण पांडेय
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 13/08/2025

नोट्स

1. **कोई भी सदस्य**, जो वार्षिक साधारण सभा (AGM) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, वह अपने स्थान पर **एक प्रॉक्सी नियुक्त** कर सकता है, जो हाथ उठाकर या मतदान (पोल) में भाग लेकर उसके स्थान पर मतदान कर सके। प्रॉक्सी **कंपनी का सदस्य होना चाहिए**। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने का प्रपत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ, स्टाम्प और हस्ताक्षरित, बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। **प्रॉक्सी फॉर्म** इस सूचना के साथ संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने के लिए **उपस्थितिपत्र (Attendance Slip)**, जो इस सूचना के साथ भेजा गया है, भरा हुआ साथ लाएँ।
3. प्रत्येक सदस्य को अपने **शेयर पूंजी** और **पैट्रनेज** के अनुपात में एक वोट देने का अधिकार होगा (हाथ उठाकर या मतदान में), बशर्ते उसने अपनी सदस्यता की बुनियादी शर्तें पूरी की हों अर्थात् उसने वित्त वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 दिनों में कंपनी को **500 लीटर दूध** की आपूर्ति की हो।
4. कोई सदस्य अधिकतम **300 सदस्यों** का प्रॉक्सी बन सकता है, बशर्ते कि इन सभी का शेयर पूंजी का कुल योग कंपनी की कुल शेयर पूंजी का **10% से अधिक** न हो।
5. इस सूचना में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेज, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों (शनिवार को छोड़कर) सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
6. इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:
 - a. निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण (आइटम संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 के अनुसार नाम सहित)।
 - b. पिछली वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही (मिनट्स) दिनांक 28.09.2024।
 - c. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का **बैलेंस शीट** और **लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Account)** सह अनुसूचियाँ, टिप्पणियाँ, निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
 - d. वित्त वर्ष 2025-26 का **बजट**।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि AGM में अपने साथ पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लेकर आएँ, क्योंकि सभा स्थल पर कंपनी की ओर से कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
8. जो सदस्य कंपनी के लेखों या कार्यप्रणाली के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अपनी लिखित प्रश्नावली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सभी पत्राचार में अपना **फोलियो नंबर** और **सदस्य कोड** अवश्य अंकित करें।

10. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 124 के अनुसार, यदि घोषित लिमिटेड रिटर्न (लाभांश) 7 वर्षों के भीतर दावा नहीं किया जाता, तो अविदित राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की तिथि इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	घोषणा की तिथि	IEPF में स्थानांतरण की अपेक्षित तिथि
2023-24	28/09/2024	01/11/2031

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्ष का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, वे इसे समय रहते प्राप्त करने हेतु कंपनी से संपर्क करें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते और बैंक खाते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें, ताकि कंपनी की सभी सूचनाएँ (वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि) उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो सकें।
13. **नामांकन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, जो सदस्य अपना नामांकन दर्ज/अद्यतन करना चाहते हैं, वे **फॉर्म SH-13** भरकर कंपनी को जमा करें (फॉर्म की प्रति संलग्न है)।
14. **हथियार, बंदूकें, गोला-बारूद, चाकू, ब्लेड, नुकीले औजार आदि AGM स्थल पर लाना प्रतिबंधित है।**
15. **5वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना** कंपनी की वेबसाइट www.haritpmilk.com पर उपलब्ध है।
16. AGM स्थल तक पहुँचने के लिए **मार्ग मानचित्र और प्रमुख स्थलों का विवरण** इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

मद सं. 3, 4, 5, 6 और 7

बोर्ड नामांकन समिति के सिफारिश पर श्री प्रवीण कुमार (फोलियो न.0003370), श्री मोहित कुमार, (फोलियो न.0003957) श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005), श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न. 0003401) एवं श्री दिगम्बर सिंह (फोलियो न.0008415) जो 'श्रेणी ए' का प्रतिनिधित्व करते हैं की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता है, जिसका विवरण निचे दिया गया है:

	श्री प्रवीण कुमार	श्री मोहित कुमार	श्री प्रदीप कुमार	श्री विश्वजीत पंवार	श्री दिगम्बर सिंह
आयु:	44	30	38	27	31
शैक्षणिक योग्यता:	स्नातक	इंटरमीडिएट	इंटरमीडिएट	स्नातकोत्तर	इंटरमीडिएट
व्यवसाय:	कृषि एवं पशुपालन				
अनुभव:	5	20	13	8	12
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम:	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
माँगा गया एवं अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक:	0	0	0	0	0
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तिथि:	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है
उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या:	-	-	-	-	-
शेयरधारिता: (शेयर)	117	52	45	38	63
अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (KMP) से संबंध:	कोई संबंध नहीं				
बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता:	0	0	0	0	0

निदेशक मंडल के आदेश से
हरित प्रदेश मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह.

श्रीमन नारायण पांडेय
कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 13/08/2025

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 11

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ (NDS) के माध्यम से वर्तमान में या भविष्य में एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित दूध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन की सुविधा प्रदान कर रहा है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति का पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया जाएगा।

इस समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है, जिसके अंतर्गत:

- दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सहयोग देना
- डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करना
- दूध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना
- सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना
- सहकारिता सिद्धांतों का पालन करना

चूँकि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उद्देश्य एवं गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं — विशेष रूप से सहकारिता एवं पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन में वृद्धि करने तथा भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संदर्भ में अतः यह प्रस्ताव है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बने।

इसके लिए प्रस्ताव है कि सामान्य भंडार (General Reserves) की अधिकतम 30% सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के अंश (शेयर) लिए जाएँ और इस प्रकार एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण की जाए।

निर्देशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की रुचि

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके संबंधियों की इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की रुचि या संलिप्तता नहीं है।

सिफारिश

निदेशक मंडल, संलग्न सूचना में दिए गए मद संख्या 11 के विशेष प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
राजस्व बजट			
क्र.सं.	विवरण	इकाई	बजट वित्त वर्ष 25-26
I	दूध प्राप्ति मात्रा	(केजीपीडी)	289,589
II	दुग्ध परिचालन से राजस्व	(लाखों रुपये में)	56,616.77
III	उत्पादक मूल्य	(लाखों रुपये में)	50,514.45
IV	सहायक मार्जिन	(लाखों रुपये में)	1,450.13
V	लॉजिस्टिक्स लागत	(लाखों रुपये में)	1,571.97
VI	अन्य दूध खरीद लागत	(लाखों रुपये में)	1,145.27
VII	निश्चित लागत	(लाखों रुपये में)	1,763.51
VIII	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(लाखों रुपये में)	171.44
IX	मवेशी चारा और अन्य से आय	(लाखों रुपये में)	102.01
X	अन्य कमाई	(लाखों रुपये में)	183.87
XI	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(लाखों रुपये में)	457.32
XII	पीईएस व्यय JICA`	(लाखों रुपये में)	818.15
XIII	पीईएस-JICA फंडिंग एजेंसी से समर्थन	(लाखों रुपये में)	745.24
IXV	दिशा परियोजना के अंतर्गत व्यय	(लाखों रुपये में)	18.10
XV	दिशा के लिए समर्थन - एनडीडीबी	(लाखों रुपये में)	4.48
XVI	एचआरसी परियोजना के तहत व्यय	(लाखों रुपये में)	28.13
XVII	अनुदान सहायता के बाद कर से पहले लाभ/(हानि)	(लाखों रुपये में)	342.66
पूँजीगत व्यय बजट			
क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बजट वित्त वर्ष 25-26
ए	दूध संचालन		
I	एमपीपी स्थापना लागत	(लाखों रुपये में)	316.00
II	कैन	(लाखों रुपये में)	205.09
III	बीएमसी	(लाखों रुपये में)	81.20
IV	एच ओ सेट अप	(लाखों रुपये में)	5.00
V	क्लस्टर सेट अप	(लाखों रुपये में)	4.00
VI	डीपीएमसीयू	(लाखों रुपये में)	245.00
VII	बीएमसी सहायक उपकरण	(लाखों रुपये में)	10.00
VIII	एएमसीयू	(लाखों रुपये में)	11.57
IX	एमसीसी की स्थापना लागत	(लाखों रुपये में)	177.60

X	आईसीटी	(लाखों रुपये में)	207.00
XI	अन्य	(लाखों रुपये में)	0.33
XII	कैपेक्स - दूध संचालन	(लाखों रुपये में)	1,262.79
XIII	पूंजीगत व्यय अनुदान सहायता - दुग्ध संचालन	(लाखों रुपये में)	565.06
बी	पीईएस संचालन		
I	कैपेक्स -पीईएस संचालन	(लाखों रुपये में)	122.22
II	अनुदान सहायता -पीईएस संचालन	(लाखों रुपये में)	109.99
ई	कुल पूंजीगत व्यय	(लाखों रुपये में)	1,385.01
सी	पूंजीगत व्यय-वित्त पोषण एजेंसी से सहायता	(लाखों रुपये में)	675.06

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त शनिवार 28 सितंबर , 2024 को संस्कृति रिसॉर्ट्स, रोहता रोड फ्लाईओवर के पास, एनएच-58, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110 में 12:00:07 बजे शुरू हुआ और 12:28:36 बजे समाप्त हुआ।

उपस्थित:

1.	श्री कपिल भारद्वाज	:	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2.	श्रीमती अंजू देवी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
3.	श्री रविंदर कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
4.	श्रीमती संगीता	:	निदेशक एवं शेयरधारक
5.	श्री संजय कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
6.	श्री शैलेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं शेयरधारक
7.	श्री वीरेंद्र	:	निदेशक एवं शेयरधारक
8.	श्री विवेक कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
9.	श्री नरिंदर सिंह बहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	डॉ. हितेश पूनिया	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उपस्थिति में:			
1.	श्री श्रीमन नारायण पांडे	:	कंपनी सचिव

- A. श्री कपिल भारद्वाज ने 12.00 बजे अध्यक्षता संभाली और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।
- B. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पांडे ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 4,598 अंश रखने वाले 120 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और 5,89,856 अंश धारक 19,919 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हैं। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के साथ कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, अपेक्षित कोरम 12,351 सदस्यों का है।
- C. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से जानकारी प्राप्त करने के बाद घोषणा की कि कोरम पूरा हो गया है।
- D. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य सांविधिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी योग्य नहीं है, इसलिए लेखा परीक्षक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया है।
- E. अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक श्री आलोक कुमार गुप्ता बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा परीक्षकों ने बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और कंपनी से अवकाश मांगा है। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।
- F. कंपनी की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

- G. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा बुलाने की सूचना, जो पहले ही सदस्यों को परिचालित की जा चुकी थी, पढ़ी हुई मान ली गई। साथ ही, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पढ़ी हुई मान ली गई।
- H. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बैठक को जानकारी दी।
- I. इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पांडे ने बैठक के एजेंडे के विषय उठाए:
1. 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को, उसके भाग के रूप में अनुसूचियों और नोट्स तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।
 - 1.1 सदस्यों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।
 - 1.2 श्री अंकुर कुमार (फोलियो संख्या 0000210) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4 वीं एजीएम:28.09.2024:1/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही अनुसूचियां और नोट्स जो इसका एक हिस्सा हैं और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के, इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाए जाते हैं।”

श्री राहुल (फोलियो संख्या 0018754) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।
 - 2.1 श्रीमती उमा (फोलियो संख्या 0001226) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

प्रस्ताव संख्या 4 वीं एजीएम:28.09.2024:2/2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे में से ₹ 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), ₹ 100 प्रत्येक के 9,35,944 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों पर अर्थात् ₹ 74,87,952 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऋण का भुगतान एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।”

श्री किरण सिंह (फोलियो संख्या 0000730) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

3. 09377062) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और उनकी नियुक्ति करना , जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

3.1 श्री राजकुमार (फोलियो संख्या 0017393) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:3/2024

" यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री वीरेंद्र (डीआईएन 09377062), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री हरेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या 0024923) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. श्री विवेक कुमार (डीआईएन: 09733815) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना तथा उन्हें नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

4.1 श्री राजेंद्र (फोलियो संख्या 0001907) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:4/2024

" यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री विवेक कुमार (डीआईएन 09733815), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री केशराज चौकर (फोलियो संख्या 001808) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

5.1 श्री देवेन्द्र (फोलियो संख्या 0019587) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:5/2024

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती मनीषा (फोलियो संख्या 0025407) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

6. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना

6.1 श्री देवेन्द्र (फोलियो संख्या 0019587) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:6/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (साथ में किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के साथ), कंपनी के मेमॉरेंडम और एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधानों और कंपनी की पहली वार्षिक आम सभामें शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10,00,00,000 (केवल दस करोड़ रुपये) से बढ़ाकर ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके 200,000,000 (केवल बीस करोड़ रुपये) की जाए। ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) इक्विटी शेयरों को ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (केवल दस लाख) इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में इसके विद्यमान खंड VI के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड VI प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपये) है, जो ₹ 100 (केवल एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000 (केवल बीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

श्री लक्ष्मण सिंह (फोलियो संख्या 004011) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

7. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

7.1 मोहम्मद शाहनवाज खान (फोलियो संख्या 007521) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:7/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (यदि लागू हो तो आवश्यक परिवर्तनों सहित या अन्यथा, इसके साथ ही वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के मेमॉरेंडम और एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधानों के अनुसार अपनाए और अनुमोदित किए जाएं, जो नीचे दिए गए हैं अर्थात्

- (i) हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन करेगा, जो कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक सदस्य निदेशक पद के लिए बोर्ड को संभावित उम्मीदवार(ओं) का सुझाव देगा।

- (ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों (वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी श्रेणी के अंतर्गत) की रिक्तियों की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचारार्थ पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए) नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, लगाई जाएगी या संबंधित वर्ग (वर्गों) के सदस्यों को साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।
- (iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।
- (iv) "नामांकन समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% या अधिक दिन -25 अंक; 85% से <95% दिन - 20 अंक; 75% से <85% - 15 अंक; 65% से <75% - 10 अंक; 55% से <65% - 5 अंक; <55% - 0 अंक)।	25
पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक शेयर पूंजी अभिदान वास्तविक आवश्यकता के 10% से अधिक कम नहीं हो रहा है।	10
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं करना) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	10
सदस्य योग्यता को लगातार बनाए रखा (पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ष के लिए @ 3 अंक)	15
आवेदक की शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त - स्नातकों के लिए -10 अंक और स्नातकोत्तरों के लिए -15 अंक) न्यूनतम योग्यता एसोसिएशन के लेखों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक); वीसीजी (5 अंक) / एमआरजी (5 अंक) / नेतृत्व विकास कार्यक्रम (5 अंक) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (15 अंक)।	15
कंपनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या मान्यता प्राप्त की हो (जैसे सदस्य / वीसीजी / एमआरजी आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ आईबी पुरस्कार) / आवेदक ने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (5 अंक)।	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए मान्यता प्राप्त होना (दस्तावेजी प्रमाण के अधीन)।	5
कुल	100

- (v) बोर्ड द्वारा गठित 'नामांकन समिति' में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- i. बोर्ड में उस सदस्यता वर्ग से एक निर्माता-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह निर्माता-सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभामें सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक निर्माता-सदस्य निदेशक अर्हता प्राप्त करते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई निर्माता-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य निर्माता-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थान से एक विशेषज्ञ; और

iii. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा तथा नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक होगा।

बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले

और बातें करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है,

जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।"

श्री अंकुर कुमार (फोलियो संख्या 006673) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

8. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था/समझौते पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्री प्रदीप कुमार (फोलियो संख्या 0000005) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वीं} एजीएम:28.09.2024:8/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और सेकंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के अनुसमर्थन के लिए कंपनी को दिया जाता है और सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और / या जारी रखने के लिए कंपनी को अनुमोदन दिया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (फोलियो संख्या 004011) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

9. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्री बलराज सिंह (फोलियो संख्या 0040120) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 4^{वाँ} एजीएम:28.09.2024:9/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXI-ए के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू), कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को किए गए आपूर्ति समझौते (इसके किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सहित) को प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

श्री रौनू कुमार (फोलियो संख्या 0007877) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

10. बैठक में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह.

अध्यक्ष

हस्ताक्षर करने की तिथि: 09.10.2024

हस्ताक्षर का स्थान: बुलंदशहर

प्रवेश की तिथि: 09.10.2024

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पल्लजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,
भारत फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

फॉर्म संख्या MGT-11

प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

कंपनी का नाम: हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पल्लजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश

सदस्य का नाम:

पंजीकृत पता:

ईमेल आईडी:

फोलियो संख्या:

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, इसके द्वारा नियुक्त करता/करती हूँ

1. नाम:

पता:

फोलियो नं.:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर या उसके न होने पर

2. नाम:

पता:

फोलियो नं.:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर

मेरे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर, मेरी ओर से, कंपनी की 5वीं वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए जिसे शनिवार, 20 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे होटल गोडविन, NH-58, बागपत बाईपास क्रॉसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 002, भारत में आयोजित किया जाएगा, एवं इसकी किसी भी समयांतरण (adjournment) में, उन प्रस्तावों के संबंध में जो नीचे संकेतित हैं।

क्रम.	संकल्प	वोट		
		पक्ष में	के खिलाफ	तटस्थ
1	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा उनके साथ संलग्न अनुसूचियों और टिप्पणियों एवं निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और उन्हें अपनाना।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना।			
3	“श्रेणी A” में आने वाले निदेशक श्री कपिल भारद्वाज (DIN:09377124) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं			
4	“श्रेणी A” में आने वाले निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह (DIN: 09377123) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं			
5	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
6	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न.0003401) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
7	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री दिगंबर सिंह (फोलियो न.0008415) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
8	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
9	संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।			
10	निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
11	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			

इस पर हस्ताक्षर किये

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को उक्त बैठक के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस पहुँचाया जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक है।

Affix ₹1
Revenue
Stamp

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल , वर्धमान पल्लजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,
भारत फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो नं.

सदस्य कोड:

दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को आयोजित 5 वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ

शेयरधारकों का नाम

प्रॉक्सी का नाम (मीटिंग में भाग लेने वाले प्रॉक्सी के मामले में)

(A) भाग लेने के लिए: _____

(B) उपस्थित होने और मतदान करने के लिए: _____

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू न हो उसे काट दें

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पल्ला, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,
भारत, फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

पावती

फोलियो संख्या:

एमपीपी कोड:

में फोलियो संख्या सदस्य कोड निवासी
..... हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूँ और मुझे कंपनी द्वारा दिनांक
..... को सभी संलग्नकों के साथ भेजी गई 5 वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना प्राप्त हुई है।

सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

तारीख:


जगह:

हाथ से डिलीवरी

नोटिस और संलग्नक देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

अधिकारी/व्यक्ति का नाम

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप



आम सभा स्थल:

होटल गोडविन, एनएच-58, दिल्ली - हरिद्वार बाईपास,
बागपत बाई पास क्रोसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002

सदस्यता को जारी रखने और रद्द करने की शर्तें

- १ . सदस्य कोई ऐसा व्यावसायिक हित अर्जित करता है जो कंपनी के व्यवसाय के साथ टकराव में है।
- २ . सदस्य किसी ऐसे कार्य में लिप्त है/लिप्त रहा है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक है या जिसने कंपनी के हित और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की संभावना है।
- ३ . सदस्य अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध के उत्पादन में लगा हुआ है और गायों और भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- ४ . सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 200 दिनों तक दूध की आपूर्ति की है और सालाना कम से कम 500 लीटर दूध डाला है।
- ५ . सदस्य ने आपूर्ति की गई दूध की वार्षिक मात्रा से मेल खाने वाले शेयरों के लिए सदस्यता ली है।
- ६ . सर्दियों के महीनों यानी नवंबर से फरवरी के दौरान कंपनी को आपूर्ति की गई कुल दूध पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गर्मियों के महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान आपूर्ति किए गए दूध से 3 गुना से अधिक नहीं होगी।
- ७ . सदस्य द्वारा आपूर्ति किया गया दूध कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
- ८ . सदस्य ने पिछले 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के दौरान हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी को किए जाने वाले 1000/- रुपये या उससे अधिक के किसी भी भुगतान में चूक नहीं की है।
- ९ . सदस्य ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक हो।
- १० . सदस्य ने ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया है जो दुग्ध उत्पादक कंपनी के व्यावसायिक हितों के विपरीत हो।
- ११ . सदस्य ने दुग्ध उत्पादक कंपनी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया है।
- १२ . सदस्य ने कंपनी को कोई गलत जानकारी नहीं दी है। कंपनी सदस्य द्वारा दी गई जानकारी को स्वप्रेरणा से या किसी वास्तविक सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापित कर सकती है।
- १३ . सदस्य को अपने घर का पूरा अधिशेष दूध कंपनी को आपूर्ति करने में चूक करते नहीं पाया गया है।
- १४ . सदस्य कोड में परिवार में वास्तविक दूध उत्पादन/अतिरिक्त दूध की मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में दूध डाला गया है, जैसा कि सदस्यों द्वारा घोषित किया गया है।
- १५ . एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्यों (सहायक परिवार सहित) को शामिल करते हुए फर्जी सदस्यता
- १६ . सदस्य कोड का उपयोग किसी और का दूध डालने के लिए किया जाता है
- १७ . यदि सदस्यता सहायक के नाम पर आवंटित की गई है।